रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 130] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 1998/चैत्र 30, 1920
No.130] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 1998/CHAITRA 30, 1920

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1998

सा. का. नि. 191 (अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 87, धारा 98, धारा 457 और धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

साधारण उपबंध

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयरर प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक) नियम, 1998 है।

(2) ये नियम 1 अगस्त, 1998 से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**— ये नियम निम्नलिखित को लागू होंगे,

(क) कोई अभ्यर्थी, जो भारत का नागरिक है, और

(ख) कोई अन्य अभ्यर्थी, जो भारत का नागरिक नहीं है और जो संबद्ध मुख्य परीक्षक द्वारा इन नियमों के अधीन परीक्षण, निर्धारण और प्रमाणित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

3. **उद्देश्य** – इन नियमों का उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, लंदन द्वारा अंगीकृत, 7 जुलाई, 1995 को यथासंशोधित सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय के उपबंधों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना है।

4. **परिभाषा** – (I) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) " समुचित प्रमाणपत्र" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी और पृष्ठांकित तथा उसके विधिपूर्ण धारक को, उस किस्म, टन-भार या शक्ति और नोदन माध्यम के पोत पर जब यह संबंधित विशिष्ट समुद्रयात्रा पर लगा हो, और जो उसमें पृष्ठांकन द्वारा उपदर्शित हो, उसमें विनिर्दिष्ट स्तर के उत्तरदायित्व में अंतर्वलित क्षमता में सेवा करने तथा कृत्यों का पालन करने के लिए हकदार बनाने वाला प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) " अनुमोदित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित अभिप्रेत है;

(घ) " प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम" से सीफेयररों के प्रशिक्षण और निर्धारण का ऐसा

प्रोग्राम अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो;

(ङ) "निर्धारण केन्द्र" से अभ्यर्थियों के निर्धारण के लिए और निर्धारण के प्रयोजन के लिए अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी नौवहन महानिदेशक द्वारा अभिहित केन्द्र अभिप्रेत है।

(च) "सक्षमता प्रमाणपत्र" से नियम 5 के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया समुचित प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(छ) "मुख्य परीक्षक" से, यथास्थिति, मास्टर और डेक विभाग कार्मिकों का मुख्य परीक्षक या इंजन विभाग कार्मिकों का मुख्य परीक्षक अभिप्रेत है;

(ज) "कंपनी" से पोत का स्वामी या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति, जैसे कि प्रबंधक अथवा बेयरबोट चार्टरर अभिप्रेत है, जिसने पोत के स्वामी से पोत परिचालन की जिम्मेदारी ग्रहण कर ली है और जिसने ऐसी जिम्मेदारी ग्रहण करने के उपरान्त प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय द्वारा सौंपे गए सभी कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां वहन करने का करार किया है,

(झ) "परीक्षक" से अधिनियम की धारा 79 के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रधान अधिकारी (नौटिकल), उप नौ-सलाहकार, नौ-सर्वेक्षक या प्रधान अधिकारी इंजीनियरी, उप मुख्य सर्वेक्षक, इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक अभिप्रेत है;

(अ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) "माह" से ब्रिटिश कलेंडर के अनुसार संगणित माह अभिप्रेत है। किसी माह के किसी निश्चित दिन और आगामी माह के पूर्ववर्ती दिन के बीच के समय को (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) एक माह गिना जाएगा;

(ठ) "तट समीपीय यात्राओं" से तटीय व्यापार अथवा बंगलादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका में किसी पत्तन या स्थान से इन देशों में किसी अन्य पत्तन या स्थान तक समुद्रयात्रा, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्राओं में सुरक्षित प्राकृतिक पत्तन का सामीप्य आता है, अभिप्रेत है;

(ड) "प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय" से 7 जुलाई, 1995 को यथासंशोधित सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन ओर निगरानी मानक संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1978 अभिप्रेत है;

(ढ) "प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता" से प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के पक्षकारों के 1995 के सम्मेलन द्वारा अंगीकृत सीफेयररों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता अभिप्रेत है;

(ण) "वर्ष" से ब्रिटिश कलेंडर के अनुसार संगणित वर्ष अभिप्रेत है।

2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे, जो उसमें हैं।

5. **सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना** – (1) निम्नलिखित ग्रेडों के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(I) विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट;

(II) विदेशगामी पोत का प्रथम मेट;

(III) विदेशगामी पोत का मास्टर;

(IV) एक्स्ट्रा मास्टर;

(V) नौचालन निगरानी अधिकारी;

(VI) देशी व्यापार पोत का मेट;

(VII) देशी व्यापार पोत का मास्टर;

(VIII) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4;

(IX) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3;

(X) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2;

(XI) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1;

(XII) एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर;

6. **प्रशिक्षण तथा निर्धारण** – (1) संबद्ध मुख्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सीफेयरर के रूप में प्रमाणन के लिए अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और निर्धारण का प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा मानीटरन, अधिनियम, इन नियमों और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाता है और वे व्यक्ति जो प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के अधीन अपेक्षित प्रशिक्षण देने और निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी हैं, अधिनियम, इन नियमों और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के उपबंधों के अनुसार किस्म और स्तर का प्रशिक्षण तथा सक्षमता का निर्धारण करने के लिए समुचित रूप से अर्हित हैं।

7. **क्वालिटी मानक**– (1) संबद्ध मुख्य परीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्राधिकार के अधीन सभी प्रशिक्षण, सक्षमता का निर्धारण, प्रमाणन, पृष्ठांकन और पुनः वैधीकरण क्रियाकलापों का निरंतर मानीटरन, क्वालिटी मानक पद्धति के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंस्ट्रक्टरों और असेसरों की अर्हताएं और अनुभव हैं, किया जा रहा है।

8. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता मानक** – (1) सीफेयरर के रूप में प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी संबद्ध मुख्य परीक्षक को निम्नलिखित दस्तावेजों के संतोषजनक सबूत प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(क) विधिमान्य पासपोर्ट;

(ख) जन्म की तारीख दर्शाने वाला प्रमाण पत्र; और

(ग) वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) नियम, 1986 में यथाविहित स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र, जिसके अंतर्गत नेत्र दृष्टि और श्रवण आता है।

(2) अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्यता मानक वही होंगे, जो वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) नियम, 1986 में दिए गए हैं।

9. **परीक्षा, निर्धारण, प्रमाणन और प्रमाणपत्रों का रजिस्ट्रीकरण** –

(1) नौवहन महानिदेशक कोई निर्धारण केन्द्र अभिहित करेगा।

(2) निर्धारण केन्द्र –

(क) सभी अभ्यर्थियों की समुद्रगामी सेवा, तट पर और पोत पर प्रशिक्षण में प्रगति, पाठ्यक्रम में उपस्थिति, और पूर्ण की गई परीक्षाएं और निर्धारण तथा सीफेयररों द्वारा धारित प्रमाण-पत्रों के संबंध में अभिलेख रखेगा;

(ख) तट पर और पोत पर प्रशिक्षण की प्रगति की कालिक विवरणियां प्राप्त करेगा तथा ऐसी विवरणियों को मानीटर भी करेगा;

(ग) इस बारे में दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच करेगा कि अभ्यर्थी ने अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पात्रता मानदण्ड पूरे कर लिए हैं; और

(घ) प्रत्येक कृत्य के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम के पूरा करने पर लिखित, मौखिक तथा व्यावहारिक परीक्षा के संचालन और निर्धारण में यथास्थिति, संबद्ध मुख्य परीक्षक या परीक्षक की सहायता करेगा।

(3) प्रत्येक सीफेयरर, जब वह पोत पर किसी सुसंगत क्षमता में सेवा कर रहा हो तब इन नियमों में उपबंधित ऐसी सुरक्षित काम में लगाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार, जो लागू हो, सभी समुचित मूल प्रमाण पत्र साथ रखेगा।

10. **प्रमाण पत्रों का पुनर्वैधीकरण और उन्नयन** – (1) प्रत्येक सीफेयरर, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व अभिसमय, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी समुचित प्रमाण पत्र का धारक है, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान, जो। फरवरी, 1997 से। फरवरी, 2002 है, (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) पुनर्वैधीकरण और उन्नयन के लिए आवेदन कर सकेगा। ऐसा अभ्यर्थी,–

(I) वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) नियम, 1986 और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता में विहित चिकित्सक दृष्टया योग्यता मानकों को पूरा करेगा;

(II) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-I/11 के अनुसार अनुमोदित पुनश्चर्या और अद्यतन पाठ्यक्रम को पूरा करेगा;

(III) किसी निर्धारण केन्द्र द्वारा संवीक्षा और निर्धारण किए जाने के अधीन होगा; और

(IV) उसको पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र प्रत्याहृत किए जाने पर, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय की अपेक्षाओं की अनुपालना करने से संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(2) समुचित प्रमाण पत्र धारण करने वाला प्रत्येक सीफेयरर, जो समुद्र में सेवा कर रहा है या जो तट पर किसी अवधि के पश्चात् सेवा के लिए समुद्र में वापसी का आशय रखता है, समुद्रगामी सेवा के लिए अर्हित बने रहने की दृष्टि से पांच वर्ष से अनधिक के अंतराल पर,–

(I) वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सीय परीक्षा) नियम, 1986 और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता में विहित चिकित्सक दृष्टया योग्यता मानकों को पूरा करेगा;

(II) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-I/11 के अनुसार अनुमोदित पुनर्वैधीकरण पाठ्यक्रम में उपस्थित हो कर निरंतर व्यावसायिक सक्षमता सिद्ध करेगा;

(III) किसी निर्धारण केन्द्र द्वारा संवीक्षा और निर्धारण किए जाने के अधीन होगा; और

(IV) उसको पुनर्वैधीकरण के पृष्ठांकन के साथ अभ्यर्थी-प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

11. **भारतीय नौसेना अधिकारी** – वाणिज्य पोत परिवहन (मास्टर और मेट की परीक्षा) नियम, 1985 और वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यिक नौसेना में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) नियम, 1989 के प्रवृत्त होने से पूर्व जारी किए गए सेवा के विधिमान्य प्रमाण पत्रों का धारण करने वाले ऐसे प्रत्येक भारतीय नौसेना अधिकारी से, जो इन नियमों की अपेक्षाओं की अनुपालना करने वाला सक्षमता प्रमाण पत्र का धारक बनने का आशय रखता है, किसी सक्षमता प्रमाण पत्र के जारी किए जाने से पूर्व अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी का वर्तमान अनुभव, अर्हताएं और प्रमाण पत्र, अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम के अनुरूप वाणिज्य पोत समुद्रगामी सेवा की अर्हता का अवधारण करने का आधार होगा।

12. **कंपनी की जिम्मेदारियां** – (1) कंपनी, नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए मास्टर को लिखित अनुदेशों की व्यवस्था करेगी और वह इन नियमों और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के उपबंधों के अनुसार उसके पोतों में सेवा के लिए सीफेयररों के समनुदेशन के लिए जिम्मेदार होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि

(क) उसके किसी पोत पर समनुदेशित प्रत्येक सीफेयरर, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के उपबंधों के अनुसार समुचित प्रमाण पत्र का धारण करता है;

(ख) उसके पोतों को, इन नियमों में यथा उपबंधित ऐसी सुरक्षित काम में लगाने वाली अपेक्षाओं के अनुरूप, जो लागू हों, काम में लगाया जाता है;

(ग) प्रलेखीकरण और आकड़े, जिसके अंतर्गत उसके पोतों पर नियोजित सभी सीफेयररों से सुसगत समनुदेशित कर्त्तव्यों में उनके अनुभव, प्रशिक्षण, चिकित्सक दृष्टया योग्यता और सक्षमता है, रखे जाते हैं तथा वे सभी संबंधितों की सुगमता से पहुंच में है;

(घ) सीफेयरर, उसका किसी पोत पर समनुदेशन किए जाने पर, वह उसके विशिष्ट कर्त्तव्यों और ऐसे इंतजामों, संस्थापनों, उपस्करों, प्रक्रियाओं और पोत लक्षणों से अवगत हैं, जो उसके नेमी या आकस्मिक कर्त्तव्यों से सुसंगत हैं;

(ङ०) किसी आपात स्थिति में और सुरक्षा या प्रदूषण के निवारण या न्यूनीकरण का महत्वपूर्ण कृत्य के करने में, पोत के पूरक उसके क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से समन्वित कर सकते हैं; और

(च) पोत का मास्टर, जिसकी कमान में कोई व्यष्टिक सीफेयरर किसी विशिष्ट पोत पर चलता है, उसके कर्त्तव्यों और बाध्यताओं के बारे में कंपनी के प्रति उत्तरदायी होगा।

अध्याय-2
मास्टर और डेक विभाग

13. 500 या इससे अधिक सकल टन भार के पोत पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी (किसी विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाए :–

(1) 500 या इससे अधिक सकल टन भार के किसी समुद्रगामी पोत पर नौचालन निगरानी का सेवारत प्रत्येक भार साधक अधिकारी, प्ररूप। में समुचित सक्षगता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

(2) **प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:–**

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित की गई तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का नहीं होगा;

(II) जिसने किसी अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम के भाग रूप में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो, जिसमें प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए–II/1 की अपेक्षाओं के अनुसार पोत पर प्रशिक्षण सम्मिलित है और निर्धारण के लिए किसी अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित है या अन्यथा तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो;

(III) जिसने नियम 5 के अधीन डेक विभाग के किसी सक्षमता प्रमाण पत्र धारक मास्टर या किसी अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन अपेक्षित समुद्रगामी सेवा के दौरान छह मास से अन्यून की अवधि के लिए ब्रिज निगरानी कार्य किया हो;

(IV) रेडियो आपरेटर के रूप में, पदाभिहित रेडियो ड्यूटी निष्पादित करने के लिए, नियम 29 की अपेक्षाएं पूरी करता हो; और

(V) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो तथा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-II/1 में विनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक पूरा करता हो।

14.. 500 या इससे अधिक सकल टन भार के पोतों पर मुख्य मेट (किसी विदेशगामी पोत का प्रथम मेट) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं :-

(1) 500 या इससे अधिक के सकल टन भार वाले किसी समुद्रगामी पोत का प्रत्येक मुख्य मेट प्ररूप 2 में समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

(2) प्रमाणीकरण के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) विदेशगामी पोत के द्वितीय मेट (500 या अधिक के टनभार पोत पर नौचालननिगरानी के भारसाधक अधिकारी) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) ने अट्ठारह मास से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो; और

(III) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा तथा निर्धारण पूरा किया हो और मास्टर और मुख्य मेट के लिए 3000 सकल टनभार या अधिक के पोत पर प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-II/2 में विनिर्दिष्ट सक्षमता मानक पूरा करेगा।

15. 500 या अधिक सकल टन भार के पोत पर मास्टर (किसी विदेशगामी पोत का मास्टर) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) 500 या अधिक सकल टन भार वाले समुद्रगामी पोत का प्रत्येक मास्टर प्ररूप 3 में समुचित सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) विदेशगामी पोत का प्रथम मेट (500 या अधिक सकल टन भार वाले पोत का मुख्य मेट) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) ने 500 या अधिक सकल टन भार वाले पोत पर नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो। तथापि यदि अभ्यर्थी ने मुख्य मेट के रूपमें एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए समुद्रगामी सेवा की है, तो संबद्ध प्रमुख परीक्षक द्वारा इस सेवा की अवधि को तीस मास या समानुपातिक अवधि से अन्यून की अवधि तक कम की जा सकेगी।

(III) ने कोई अनुमोदित पोत प्रबंध पाठ्यक्रम पूरा किया हो;

(IV) शिप-हेंडलिंग और कुशल कार्यसाधन में अनुमोदित सिमुलेटर प्रशिक्षण पूरा किया हो; और

(V) अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो।

16. एक्स्ट्रा मास्टर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं -

(1) एक्स्ट्रा मास्टर प्रमाण पत्र प्ररूप 4 में एक ऐच्छिक प्रमाण पत्र है और यह एक साक्ष्य है कि अभ्यर्थी ने वृत्तिक उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लिया है।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) किसी विदेशगामी पोत पर मास्टर के रूप में (500 या अधिक के सकल टनभार के पोत पर मास्टर) सक्षमता प्रमाण पत्र का धारण करेगा;

(II) ने किसी अनुमोदित संस्था द्वारा संचालित कोई प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम पूरा किया हो; और

(III) अनुमोदित्त परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो।

(3) ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को, जो इस नियम की अपेक्षाओं को पूरा करता है, एक्स्ट्रा मास्टर सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह विदेशगामी पोत (सकल 500 टनभार या अधिक के पोत पर मास्टर) के मास्टर के रूप में किसी सक्षमता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जारी किया जाएगा जो अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियमन II/2 और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-II/2 के अनुसार धारण किया गया हो।

17. तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालित किए जा रहे 500 या अधिक सकल टन भार के पोत पर नौचालन निगरानी (नौचालन निगरानी अधिकारी) के भारसाधक अधिकारी के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालन किए जा रहे 500 और 3000 सकल टनभार के बीच के किसी समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहे किसी नौचालन निगरानी के भारसाधक प्रत्येक अधिकारी, प्ररूप 5 में एक समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित की गई अंतिम तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न होगा;

(II) जिसने किसी अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम के भागरूप में अट्ठारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो, जिसमें पोत पर प्रशिक्षण सम्मिलित है और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-II/2 में यथा अंतर्विष्ट और तट समीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोतों को यथा लागू प्रमाणन के लिए सक्षमता सारणियों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो और किसी अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित रूप में हो या अन्यथा तीन वर्ष से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो। ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने 500 सकल टनभार से कम के किसी पोत पर अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो, दावा की गई वास्तविक समुद्रगामी सेवा के दो तिहाई पर निर्धारित किया जाएगा,

(III) जिसने नियम 5 के अधीन डेक विभाग के किसी सक्षमता प्रमाण पत्र धारक मास्टर या किसी अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन अपेक्षित समुद्रगामी सेवा के दौरान छः मास से अन्यून की अवधि के लिए ब्रिज निगरानी कार्य किया हो;

(IV) पदाभिहित रेडियो ड्यूटी निष्पादित करने के लिए नियम 29 की अपेक्षाओं को पूरा किया हो; और

(V) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा किया है और अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम में यथाविनिर्दिष्ट सक्षमता के लिए मानक को पूरा करता है।

18. 500 और 3000 के बीच सकल टन भार वाले ऐसे पोत पर, जो तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालित किया जा रहा है, मुख्य मेट (किसी देशी व्यापार पोत के मेट) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) 500 और 3000 के बीच सकल टन भार वाले समुद्रगामी पोत का प्रत्येक मुख्य मेट, जो तट समीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहा है, प्ररूप 6 में समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) जो तट समीपीय जलयात्रा पर 500 या उससे अधिक सकल टन भार के पोत पर किसी नौचालन निगरानी के भारसाधक नौचालन निगरानी अधिकारी के रूप में समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करता हो।

(II) जिसकी अट्ठारह मास से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा हो; और

(III) जो अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो और 500 और 3000 सकल टन भार के बीच के पोत पर मास्टर, मुख्य मेट के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-II/2 में यथाविनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा करता हो।

19. 500 और 3000 के बीच के सकल टन भार के पोत पर जो तट समीपीय जल यात्रा में प्रचालित किया जा रहा है, के मास्टर (किसी देशी व्यापार पोत के मास्टर) के प्रमाणन के लिए अपेक्षाएं-

(1) तट समीपीय जल यात्रा में प्रचालित किए जा रहे 500 और 3000 के बीच के सकल टन भार वाले समुद्रगामी पोत पर प्रत्येक मास्टर, प्ररूप 7 में समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) तट समीपीय जल यात्रा में 500 और 3000 के बीच सकल टन भार वाले पोत पर किसी देशी व्यापार पोत के मेट (मुख्य मेट) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) 500 या अधिक सकल टन भार वाले पोत पर जो तट समीपीय जल यात्रा में प्रचालित किया जा रहा है, के किसी भारसाधक नौचालन निगरानी अधिकारी के रूप में तीन वर्ष से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो। तथापि इस अवधि को सम्बद्ध प्रमुख परीक्षक द्वारा तीस मास से अन्यून या समानुपाती अवधि के लिए घटाया जा सकेगा यदि 500 या 3000 के बीच सकल टन भार वाले पोत पर, जो तट समीपीय जल यात्रा में प्रचालित किया जा रहा है, मुख्य मेट के रूप में एक वर्ष से अन्यून की सेवा की हो।

(III) कोई अनुमोदित पोत प्रबंध पाठ्यक्रम पूरा किया ।

(IV) शिप हैंडलिंग और कुशल कार्यसाधन में अनुमोदित सिमुलेटर प्रशिक्षण पूरा किया हो या तटसमीपीय जलयात्रा पर मुख्य मेट के रूप में अनुमोदित नब्बे दिन की समुद्रगामी सेवा पूरी की हो; और

(V) अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो।

20. नौचालन निगरानी के भाग रूप में रेटिंग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं –

(1) ऐसे प्रत्येक रेटिंग को, जो 500 या अधिक के सकल टन भार के समुद्रगामी पोत पर नौचालन निगरानी का एक भाग है, उस रेटिंग से भिन्न जो प्रशिक्षण के अधीन है और ऐसे रेटिंग जिसके कर्त्तव्य जब वह निगरानी पर हो किसी अकुशल प्रकृति के हैं, सम्बद्ध मुख्य परीक्षक द्वारा ऐसे कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख को 18 वर्ष से कम की आयु का नहीं होगा;

(II) जिसने –

(क) नौ मास से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी की है; या

(ख) नब्बे दिन की अवधि के लिए अनुमोदित, पूर्व समुद्रगामी प्रशिक्षण या विशेष प्रशिक्षण और छः मास से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी की है; और

(III) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-II/4 में यथाविनिर्दिष्ट सक्षमता के मानक को पूरा किया है।

(3) उपनियम (2) के खंड (II) में यथापेक्षित समुद्रगामी सेवा, प्रशिक्षण और अनुभव नौचालन निगरानी कृत्यों से सहबद्ध होंगे और उसमें मास्टर या नौचालन निगरानी के भारसाधक अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण में पोत पर निष्पादित किए गए कर्त्तव्य भी या कोई प्रमाणित रेटिंग जो अनुमोदित रेटिंग प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में सम्यक् रूप से प्रलेखित है, अंतर्वलित होंगे।

(4) ऐसा रेटिंग जिसने एक अगस्त, 1998 से पूर्ववर्ती अंतिम 5 वर्षों के भीतर एक वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए डेक विभाग में सुसंगत हैसियत में सेवा की है, निर्धारण केन्द्र द्वारा निर्धारण के लिए पात्र होगा।

अध्याय -3
इंजन विभाग

21. मानव सहित इंजन कक्ष में इंजीनियरी निगरानी का प्रभारी अधिकारी के या आवधिक रूप से मानवरहित इंजन कक्ष में (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4) अभिहित ड्यूटी इंजीनियर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएः-

1. 750 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी शक्ति युक्त समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहे इंजीनियरिंग निगरानी के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी, प्ररूप 8 में समुचित दक्षता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न होगा;

(II) अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में प्रलेखित पोत पर प्रशिक्षण सहित अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम में यथा उपबंधित रूप से कम से कम तीस मास की अवधि के लिए अनुमोदित शिक्षा एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका हो और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/1 में यथाविनिर्दिष्ट दक्षता मानकों को पूरा करेगा।

(III) ऐसे समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-I या इंजन विभाग के किसी अधिकारी के ध्यान पूर्ण पर्यवेक्षण और मानीटरन में, जो नियम 5 के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करता हो और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/1 के अनुसार अनुमोदित प्रशिक्षण पुस्तिका में सम्यक रूप से प्रलेखित हो, 750 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी शक्ति युक्त समुद्रगामी पोत के इंजन विभाग में छह मास से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी कर चुका हो।

(IV) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, निर्धारण पूरा कर चुका हो और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/1 में यथाविनिर्दिष्ट सक्षमता मानक को पूरा करता हो।

22. 3000 किलोवाट की नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी युक्त पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं :-

(1) 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक मुख्य नोदन मशीनरी युक्त समुद्रगामी पोत पर प्रत्येक द्वितीय इंजीनियर अधिकारी, प्ररूप 9 में समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

(2) प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी--

(I) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4 (इंजीनियरी निगरानी का प्रभारी अधिकारी) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) इंजीनियरी निगरानी के सहायक इंजीनियर अधिकारी या प्रभारी इंजीनियर अधिकारी के रूप में अनुमोदित समुद्रगामी सेवा में कम से कम एक वर्ष की सेवा कर चुका हों; और

(III) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा एवं निर्धारण पूर्ण कर चुका हो तथा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संहिता के खंड ए-III/2 में तथा विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करता हो।

23. 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी युक्त पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-1) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी वाले समुद्रगामी पोत पर प्रत्येक मुख्य इंजीनियर अधिकारी, प्ररूप 10 में समुचित सक्षमता का प्रमाण पत्र धारण करेगा।

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी –

(I) समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-2 (3000 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी युक्त पोत पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक शक्ति की मुख्य नोदन मशीनरी युक्त पोतों पर इंजीनियरिंग निगरानी के प्रभारी इंजीनियर अधिकारी के रूप में अनुमोदित समुद्रगामी सेवा के रूप में कम से कम अठारह मास की सेवा कर चुका हो;

(III) अनुमोदित इंजीनियरी प्रबंधन पाठ्यक्रम पूरा कर चुका हो;

(IV) अनुमोदित मशीनरी स्पेस सिमुलेटर, प्रशिक्षण पूरा कर चुका हो; और

(V) अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण पूरा कर चुका हो।

24. एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. प्ररूप II में विशेष उच्च श्रेणी इंजीनियर दक्षता प्रमाण पत्र ऐच्छिक प्रमाण पत्र है और इस बात का साक्ष्य है कि प्रत्याशी ने व्यावसायिक गुणवत्ता में उच्चतर स्तर प्राप्त किया है।

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक शक्ति के समुद्रगामी पोत के लिए मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-1) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) अनुमोदित संस्थान द्वारा संचालित अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम पूरा किया हो; और

(III) अनुमोदित परीक्षा और निर्धारण पूरा किया हो।

3. प्रत्येक अभ्यर्थी को जो इस नियम की अपेक्षाओं को पूरा करता है, एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियमन ए-III/2 और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/2 के अनुसार 3000 किलोवाट नोदन शक्ति या अधिक के पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-1) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त होगा।

25. तट समीपीय जलयात्राओं में प्रचालित 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट की नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी युक्त पोतों के मानव सहित इंजन कक्ष में प्रभारी इंजीनियरी निगरानी अधिकारी या आवधिक रूप से मानव रहित इंजन कक्ष के अभिहित ड्यूटी इंजीनियर के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4 तट समीपीय जलयात्राएं)

1. तटसमीपीय जलयात्राओं में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच के समुद्रगामी पोत पर सेवा कर रहे इंजीनियरी निगरानी के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी, प्ररूप 12 में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा;

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को 18 वर्ष की आयु से कम का न होगा;

(II) तीस मास की अवधि के लिए अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम को पूर्ण कर चुका हो जिसमें किसी अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में सम्यक रूप से प्रलेखित पोत पर प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/1, जो कि तटसमीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोतों पर लागू होती है; में विनिर्दिष्ट सक्षमता मानकों का पूरा करता हो;

III. प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/1, जो कि तटसमीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोतो पर लागू होता है, में यथाविनिर्दिष्ट अनुमोदित प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तिका में सम्यक रूप से प्रलेखित और 750 किलोवाट या अधिक की मुख्य नोदन मशीनरी की शक्ति वाले पोतों पर समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 द्वारा ध्यान पूर्णक पर्यवेक्षित और मानीटर किए गए इंजन विभाग में कम से कम छह मास की अवधि की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूर्ण कर चुका हो; और

(IV) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और निर्धारण पूरा कर चुका हो तथा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/1, जो कि तटसमीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोतों पर लागू होता है, में यथा विनिर्दिष्ट सक्षमता मानकों का पूर्ण करता हो।

26. तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट तथा 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी की शक्ति वाले पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के मध्य की मुख्य नोदन मशीनरी के शक्तिवाले समुद्रगामी पोत पर प्रत्येक द्वितीय इंजीनियर अधिकारी, प्ररूप 13 में समुचित सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करेगा।

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को--

(I) तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के मध्य की मुख्य नोदन मशीनरी के पोत पर इंजीनियरिंग निगरानी के प्रभारी अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4 तटसमीपीय जलयात्रा) के रूप में प्रमाणपत्र धारण करेगा;

(II) सहायक इंजीनियर अधिकारी या इंजीनियरिंग निगरानी के भारसाधक इंजीनियर अधिकारी के रूप में कम से कम एक वर्ष की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा की हो; और

(III) अनुमोदित शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा, निर्धारण पूरा किया हो तथा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/2, जो कि तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे पोतों पर लागू है, में विनिर्दिष्ट सक्षमता मानकों को पूरा करना होगा।

27. तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी की शक्ति वाले पोतों पर मुख्य इंजीनियर अधिकारी (समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 मुख्य इंजीनियर अधिकारी-तटसमीपीय जलयात्रा) के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षताएं-

1. तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट नोदन शक्ति के मध्य की मुख्य नोदन मशीनरी की शाक्ति वाले समुद्रगामी पोत पर प्रत्येक मुख्य इंजीनियर अधिकारी को, समुचित सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करना होगा।

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) तटसमीपीय जलयात्रा में प्रचालन कर रहे 750 किलोवाट और 3000 किलोवाट की नोदन शक्ति के बीच की मुख्य नोदन मशीनरी की शक्ति वाले समुद्रगामी पोत पर समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 (द्वितीय इंजीनियर अधिकारी – तटसमीपीय जलयात्रा) के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र धारण करना होगा;

(II) ऐसे पोतों पर इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी के रूप में कम से कम एक वर्ष की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूर्ण कर चुका हो;

(III) अनुमोदित इंजीनियरी प्रबंधन पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुका हो;

(IV) अनुमोदित मशीनरी स्पेश सिमुलेटर प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका हो; तथा

(V) अनुमोदित परीक्षा तथा निर्धारण पूर्ण कर चुका हो।

28 इंजन निगरानी कक्ष के भाग रूप रेटिंग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:-

1. किसी इंजन निगरानी कक्ष के भाग रूप प्रत्येक रेटिंग या ऐसे रेटिंग जो 750 किलोवाट नोदन शक्ति या इससे अधिक शक्ति की मुख्य नोदन मशीनरी की शक्ति वाले समुद्रगामी पोत पर आवधिक मानव रहित इंजन कक्ष में कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अभिहित हैं, उन रेटिंगों से भिन्न जो, प्रशिक्षणाधीन हैं या वे जिनके कर्त्तव्य निगरानी के दौरान अकुशल प्रकृति के हैं, ऐसे कत्तव्यों का पालन के लिए संबद्ध मुख्य परीक्षक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाण पत्रित किए जाएंगे।

2. प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को कम से कम 18 वर्ष की आयु से कम का न होगा ;

(II) (क) कम से कम नौ मास की अवधि के लिए अनुमोदित समद्रगामी सेवा की हो; या

(ख) नब्बे दिन की अवधि के लिए अनुमोदित पूर्व समुद्रगामी प्रशिक्षण या विशेष प्रशिक्षण और कम से कम छह मास की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा पूरी कर चुका हो; और

(III) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-III/9 में यथाविनिर्दिष्ट सक्षमता के मानकों को पूरा करता हो।

(3) उप नियम (2) के खंड (II) द्वारा समुद्रगामी सेवा, प्रशिक्षण तथा अनुभव संबंधी अपेक्षाएं इंजन कक्ष निगरानी कृत्यों के साथ सहयुक्त होंगी और इनमें मुख्य इंजीनियर या इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन पोत पर किए गए कर्त्तव्यों का पालन भी अंतर्वलित है या किसी अनुमोदित रेटिंग प्रशिक्षण अभिलेख पुस्तक में सम्यकतः प्रलेखित प्रमाणित रेटिंग शामिल होंगे।

4. ऐसा रेटिंग जो 1 अगस्त, 1998 से पूर्ववर्ती पांच वर्ष के भीतर कम से कम एक वर्ष की अवधि तक इंजन विभाग में सुसंगत हैसियत में सेवा कर चुका हो, निर्धारण केन्द्र द्वारा निर्धारण के लिए पात्र होगा।

अध्याय 4

रेडियो संचार और रेडियो कार्मिक

29. विश्व समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली रेडियो कार्मिक के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

(1) वाणिज्य पोत परिवहन (संकट और सुरक्षा रेड़ियो संचार) नियम, 1995 के उपबंधों के अतिरिक्त विश्व सामुद्रिक संकट और सुरक्षा प्रणाली में भाग लेने के लिए अपेक्षित किसी पोत का भारसाधक या रेडियो संबंधी कर्त्तव्यों की पालना करने वाला प्रत्येक व्यक्ति,–

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को अट्ठारह वर्ष की आयु से कम का न होगा;

(II) अनुमोदित विश्व सामुद्रिक संकट और सुरक्षा प्रणाली साधारण प्रचालक पाठ्यक्रम में उपस्थित होगा और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-IV/2 में यथाविनिर्दिष्ट सक्षमता मानक को पूरा करेगा; और

(III) को अनुमोदित विश्व सामुद्रिक संकट और सुरक्षा प्रणाली साधारण प्रचालक पाठ्यक्रम के पूरा करने पर तथा प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए IV/2 में दिए गए कार्य, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करने की सक्षमता प्रदर्शित करने पर समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उस पर प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता द्वारा अपेक्षित आवश्यक पृष्ठांकन किया जाएगा।

अध्याय 5

कतिपय किस्मों के पोतों पर कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण अपेक्षाए

30. टैंकरो पर मास्टरों, अधिकारियों और रेटिगों के लिए प्रशिक्षण और अर्हताओं की न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) ऐसे अधिकारी और रैटिंग, जिन्हें टैंकरों पर स्थोरा और स्थोरा उपस्कर से संबंधित विशिष्ट कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां सोंपी गई हैं, अनुमोदित तट आधारित अग्निशमन पाठ्यक्रम पूरा करना होगा और निम्नलिखित बातों को पूरा करना होगा –

(क) सुरक्षित प्रचालन पद्धतियों की पर्याप्त जानकारी अर्जित करने की दृष्टि से टैंकरों पर अनुमोदित समुद्रगामी सेवा में कम से कम नब्बे दिन; या

(ख) टैंकर से सुपरिचित होने का अनुमोदित पाठ्यक्रम, जिसमें कम से कम प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/1 में उस पाठ्यक्रम के लिए दिए गए पाठ्यविवरण का समावेश होगा। पाठ्यक्रम के संतोषप्रद रूप से पूरा करने पर अभ्यर्थी को समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(2) मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, मुख्य मेट, और द्वितीय इंजीनियर अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके ऊपर स्थोरा के लदाई, उतराई और अभिवहन या हथालने में सावधानी की आसन्न जिम्मेदारी है, उपनियम (1) की अपेक्षाएं पूरी करने के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी पूरा करेगा :–

(क) उस किस्म के टैंकर पर, जिस पर वे सेवा करते हैं, उनके कर्त्तव्यों के अनुरूप कम से कम नब्बे दिन का अनुभव; और

(ख) कोई अनुमोदित विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कम से कम प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/1 में दिए गए विषयों का समावेश हो और जो, ऐसे आयल टैंकर, रसायन टैंकर या द्रवीकृत गैंस टैंकर, जिन पर वे सेवा करते हैं, उनके कर्त्तव्यों के अनुरूप है। ऐसे प्रशिक्षण के संतोषप्रद रूप से पूरा करने पर अभ्यर्थी को समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(3) ऐसे मास्टर और अधिकारी, जो उपनियम (2) के अनुसार अर्हित हैं, यथास्थिति, संबद्ध मुख्य परीक्षक या परीक्षक को अपना सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और आयल टैंकर, रसायन टैंकर या द्रवीकृत गैस टैंकर पर सेवा के लिए समुचित पृष्ठांकन प्राप्त करेंगे।

31. रो-रो यात्री पोतों पर मास्टरों, अधिकारियों, रेटिंगों और अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण और अर्हताओं के लिए न्यूनतम अपेक्षाए-

(1) रो-रो यात्री पोतों पर सेवा कर रहे मास्टरों, अधिकारियों और रेटिंगों को पोत पर कर्त्तव्य समनुदेशित किए जाने से पूर्व उनकी क्षमता, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों के अनुसार सुसंगत प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(2) रो-रो यात्री पोतों पर आपात् स्थितियों में यात्रियों को सहायता करने के लिए मस्टर-सूची पर अभिहित मास्टरों, अधिकारियों और अन्य कार्मिक को प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/2, पैरा 1 में यथाविनिर्दिष्ट भीड़-प्रबंध में प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(3) रो-रो यात्री पोतों पर मास्टर, अधिकारी और अन्य कार्मिक, जिन्हें विशिष्ट कर्त्तव्य सौपे गए हैं प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/2, पैरा 2 में यथाविनिर्दिष्ट सुपरिचित होने का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(4) रो-रो यात्री पोतों पर यात्री स्थानों में यात्रियों को प्रत्यक्ष सेवा देने वाले कार्मिकों को, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/2, पैरा 3 में यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(5) रो-रो यात्री पोतों पर मास्टरों, मुख्य मेटों, मुख्य इंजीनियर अधिकारियों, द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों और ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसे यात्रियों के पोतारोहण और उतारने, स्थोरा की लदाई, उतराई या प्राप्ति अथवा हल ओपनिंग के क्लोजिंग की आसन्न जिम्मेदारी सोंपी गई है, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/2, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट यात्री सुरक्षा, स्थोरा सुरक्षा और हल इंटिग्रिटी में अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(6) मास्टरों, मुख्य मेटों, मुख्य इंजीनियर अधिकारियों, द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों और ऐसे किसी व्यक्ति को, जिस पर रो-रो यात्री पोत पर आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/2, पैरा 5 में विनिर्दिष्ट संकट स्थिति प्रबंध और मानव व्यवहार में अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(7) रो-रो यात्री पोतों पर सेवा कर रहे मास्टरों, अधिकारियों, रेटिंगों और अन्य कार्मिकों को, भीड़-प्रबंधन, सुपरिचित होने, सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, स्थोरा सुरक्षा और हल इंटिग्रिटी, संकट स्थिति प्रबंध और मानव व्यवहार में अनुमोदित सुसंगत प्रशिक्षण के समाधानप्रद रूप से पूरा करने पर, समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(8) ऐसे मास्टरों, मुख्य मेटों, मुख्य इंजीनियर अधिकारियों और द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों का जो इस नियम के अनुसार अर्हित हैं और समुचित प्रमाण पत्र के धारक हैं, यथास्थिति, संबंधित मुख्य परीक्षक या परीक्षक को उनके सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और रो-रो यात्री पोतों पर सेवा के लिए पृष्ठांकन प्राप्त करने होंगे।

(9) ऐसे सीफेयरर जिनसे उपनियम (2), (5) और (6) के अनुसार प्रशिक्षित होने की अपेक्षा है, पांच वर्ष से अनधिक के अंतराल पर समुचित पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

32. यात्री पोतों पर मास्टरों, अधिकारियों, रेटिंगों और अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण और अर्हताओं के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

(1) रो-रो यात्री पोतों से भिन्न यात्री पोतों पर सेवा कर रहे मास्टरों, अधिकारियों और रेटिंगों तथा अन्य कार्मिकों को, पोत संबंधी कर्त्तव्यों के सौपे जाने से पूर्व उनकी सक्षमता, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियों के अनुसार सुसंगत प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(2) यात्री पोतों पर आपात स्थिति में यात्रियों की सहायता करने के लिए मस्टर सूची पर अभिहित मास्टरों, अधिकारियों और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/3, पैरा 1 में विनिर्दिष्ट भीड़-प्रबंधन में प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(3) यात्री पोतों पर ऐसे मास्टरों, अधिकारियों और अन्य कार्मिक को, जिन्हें विशिष्ट कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां सौपी गई हैं, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/3, पैरा 2 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से सुपरिचित होने का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(4) यात्री पोतों पर यात्री स्थानों में यात्रियों को प्रत्यक्ष सेवा दे रहे कार्मिकों को, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/3, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(5) ऐसे मास्टर, मुख्य मेट और प्रत्येक व्यक्ति, जिसे यात्रियों के पोतारोहण और उतारने के लिए आसन्न जिम्मेदारी सौंपी गई है, को प्रशिक्षण, प्रमाणन, और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/3, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट यात्री सुरक्षा में प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(6) ऐसे मास्टर, मुख्य मेट, मुख्य इंजीनियर अधिकारी, द्वितीय इंजीनियर अधिकारी, और कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर यात्री पोतों पर आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, को प्रशिक्षण, प्रमाणन, और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-V/3, पैरा 5 में विनिर्दिष्ट संकट स्थिति प्रबंध और मानव व्यवहार में अनुमोदित प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

(7) यात्री पोतों पर सेवा कर रहे मास्टरों, आधिकारियों, नाविकों, रेटिंगों और अन्य कार्मिकों को भीड़ प्रबंध,सुपरिचित होने, सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, संकट स्थिति प्रबंध और मानव व्यवहार में अनुमोदित सुसंगत प्रशिक्षण के समाधानप्रद रूप से पूरा करने पर समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(8) ऐसे मास्टरों, मुख्य मेटों, मुख्य इंजीनियर अधिकारियों, द्वितीय इंजीनियर अधिकारियों को, जो इस नियम के अनुसार अर्हित हैं और किसी समुचित प्रमाण पत्र के धारक हैं, यथास्थिति, संबंधित मुख्य परीक्षक या संबंधित परीक्षक को उनके सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे और यात्री पोतों पर सेवा के लिए पृष्ठांकन प्राप्त करेंगे।

(9) ऐसे सीफेयरर, जिनसे उपनियम (2), (5) और (6) के अनुसार प्रशिक्षित होने की अपेक्षा है, पांच वर्ष से अनधिक के अंतराल पर समुचित पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

अध्याय 6

आपातकालीन, व्यवसायिक सुरक्षा, चिकित्सीय देखभाल, और जीवनरक्षक कृत्य

33. सुभिज्ञता, मूलभूत सुरक्षा, प्रशिक्षण और सभी समुद्री यात्रियों के लिए अनुदेश के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं :-

1. किसी समुद्रगामी पोत पर यात्रियों से भिन्न नियोजित या उसमें लगे सभी व्यक्ति, उन्हें पोत पर कर्त्तव्य सौपे जाने से पूर्व प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VI/1 के पैरा एक के अनुसार अनुमोदित सुभिज्ञता प्रशिक्षण ओर अनुदेश प्राप्त करेंगे और उसमें यथा विनिर्दिष्ट समुचित सक्षमता मानक को पूरा करेंगे।

2. किसी पोत पर किसी हैसियत में नियोजित या लगे सीफेयरर जो उस पोत के सम्पूरक के भागरूप में कारबार करते हैं, और उन्हें सुरक्षा या प्रदूषण निवारण कर्त्तव्यों के रूप में उस पोत पर कर्तव्य सौंपे जाने से पूर्व, निम्नलिखित समुचित अनुमोदित मूलभूत प्रशिक्षण या अनुदेश दिलाए जाएंगे –

   (I) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/1 में दी गई कार्मिक उत्तरजीवी तकनीकें;

   (II) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/1-2 में दी गई अग्नि निवारण और अग्नि शमन;

   (III) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए1/1/1-3 में दी गई मूलभूत प्रथम चिकित्सीय सहायता; और

   (IV) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/1.4 में दी गई कार्मिक सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व।

3. प्रत्येक मूलभूत प्रशिक्षण को समाधानप्रद रूप में पूरा करने पर सीफेयरर को एक समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

34. जीवनरक्षक क्राफ्ट, बचाव नावों और तीव्र बचाव नावों में दक्षता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. जीवनरक्षक क्राफ्ट और तीव्र बचाव नावों से भिन्न नावों में दक्षता प्रमाण के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(क) आवेदन प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं होगा;

(ख) एक वर्ष से अन्यून की अनुमोदित समुद्रगामी सेवा करनी होगी या किसी अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होना होगा और छह मास से अन्यून की अवधि के लिए अनुमोदित समुद्रगामी सेवा करनी होगी;

(ग) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होना होगा और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता के खंड ए VI/2 के पैरा 1 से 4 में दी गई जीवनरक्षक क्राफ्ट तथा बचाव नाव के लिए दक्षता प्रमाण पत्र के मानक को पूरा करना होगा; और

(घ) अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को समाधानप्रद रूप में पूरा करने पर और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/2-1 में दिए गए कार्यो, कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सक्षमता के संप्रदर्शन करने पर, कोई समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

2. तीव्र बचाव नावों में किसी दक्षता प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी–

(I) तीव्र बचाव नावों से भिन्न और जीवनरक्षक क्राफ्ट दक्षता में कोई प्रमाण पत्र धारण करेगा;

(II) अनुमोदित प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम में उपस्थित होगा;

(III) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VI/2, पैरा 5 से 8 में दी गई तीव्र बचाव नावों में दक्षता के प्रमाण पत्र की सक्षमता के मानक को पूरा करेगा; और

(IV) अनुमोदित प्रशिक्षत पाठ्यक्रम को पूरा करने पर और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/2-2 में दिए गए कार्य कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सक्षमता से संप्रदर्शित करेगा, तब समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

35. उच्च अग्नि शमन में प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. अग्नि शमन संक्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए पदाभिहित सीफेयरर सफलता पूर्वक अग्नि शमन के लिए तकनीकों में उच्च प्रशिक्षण पूरा करेगा, और संगठन युक्ति और नियंत्रण पर विशेष रूप से बल देते हुए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VI/3 के उपबंधों के अनुसार नियंत्रण करेगा और उसमें विनिर्दिष्ट किए गए सक्षमता मानकों को पूरा करेगा।

2. प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/3 में दिए गए कार्य, कर्त्तव्यों और दायित्वों को पूरा करने के लिए अग्नि शमन संप्रदर्शन सक्षमता के लिए तकनीकों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने पर एक संक्षिप्त प्रमाण पत्र सीफेयरर को जारी किया जाएगा।

36. चिकित्सीय प्रथम सहायता और चिकित्सीस देखभाल के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाएं-

1 पोत पर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पदाभिहित सीफेयरर कोई अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेगा और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VI/4, पैरा 1 से 3 में विनिर्दिष्ट चिकित्सीय सहायता में सक्षमता के लिए मानक को पूरा करेगा। चिकित्सीय प्रथम सहायता में अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम समाधानप्रद रूप में पूरा करने पर और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/4-1 में दिए गए कार्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वों को करने के लिए सक्षमता संप्रदश्रन पूरा करने पर सीफेयरर को एक समुचित प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

2. पोत पर चिकित्सीय देखभाल का भार संभालने पर पदाभिहित सीफेयरर कोई अनुमोदित प्रशिक्षण का निर्धारण कार्यक्रम पूरा करेगा और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VI/4, पैरा 4 से 6 में यथा-विनिर्दिष्ट चिकित्सीय देखभाल में सक्षमता के मानक को पूरा करेगा। चिकित्सीय देखभाल में अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम समाधानप्रद रूप में पूरा करने पर और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता की सारणी ए-VI/4-1 में दिए गए कार्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्वों को करने के लिए सक्षमता संप्रदर्शन पूरा करने पर सीफेयरर को एक समुचित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

अध्याय 7

वैकल्पिक प्रमाणीकरण

37. सम्बद्ध प्रमुख परीक्षक की शक्ति-

1. सम्बद्ध प्रमुख परीक्षक, किसी अभ्यर्थी के सक्षमता प्रमाण पत्र से बाहर आने वाले एक या अधिक कृत्यों में सक्षमता का निर्धारण अनुज्ञात कर सकेगा जिसके लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता अभिसमय के संचार और सूचना से संबंधित अनुच्छेद 4 और विनियम 1/7 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्थाएं अधिसूचित की गई हैं।

38. वैकल्पिक प्रमाण पत्र जारी करने लिए न्यूनतम अपेक्षाएं-

1. सम्बद्ध प्रमुख परीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि अतिरिक्त कृत्यों में अनुमोदित प्रशिक्षण और निर्धारण कार्यक्रम प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता की अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा करता है जो उत्तरदायित्व के हित पर जिसमें अर्हित समुद्रगामी सेवा भी है, के लिए समुचित है, एक प्रमाण पत्र इस आशय को पृष्ठांकित करते हुए और एक या अधिक कृत्यों में प्राप्त की गई अर्हताओं को स्पष्ट रूप से कथन करते हुए, यदि कोई हो, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता अभिसमय के विनियम VII/2 के अनुसार और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम VII/3 के अनुसार वैकल्पिक प्रमाण पत्र के विषय को शासित करने वाले सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, जारी कर सकेगा।

39. वैकल्पिक प्रमाण पत्र के विषय को शासित करने वाले सिद्धांत-

1. सम्बद्ध प्रमुख परीक्षक वैकल्पिक प्रमाण पत्र जारी करने या जारी करने के लिए प्राधिकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किए जाएं तब तक कि वे वे सुरक्षा के समतुल्य स्तर और प्रदूषण नियंत्रण के स्तर को बनाए सक्षमता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के उपबंध में वर्णित सक्षमता, उपलब्धता, अकुशलता या निगरानी में कोई कमी लाए बिना पारस्परिक परिवर्तनशीलता बनाए रखना अनुज्ञात किया जाएगा।

अध्याय 8
निगरानी

40. ड्यूटी के लिए उपयुक्तता -

1. कंपनी, थकान को रोकने के प्रयोजन के लिए–

(क) निगरानी कार्मिकों के लिए विश्राम अवधि की स्थापना और उसे प्रवृत्त करेगी;

(ख) यह अपेक्षा होगी कि निगरानी पद्धति इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि निगरानी कार्मिकों को दक्षता थकान से प्रभावित नहीं होगी और ड्यूटियों को इस प्रकार सुगठित किया जाएगा कि जल यात्रा के आरंभ पर प्रथम निगरानी और पश्चात्वर्ती विश्राम दिलाने के लिए निगरानी करने वालों को पर्याप्त रूप से विश्राम दिलाया जाएगा और ड्यूटी के लिए अन्यथा उपयुक्त हो; और

(ग) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VIII/1 में दी गई अपेक्षाओं और विश्राम अवधियों का अनुपालन किया जाएगा और निगरानी अनुसूचियों को उनके पोतों पर वहां प्रदर्शित किया जाएगा जहां वे आसानी से पहुंच के भीतर हों;

41. निगरानी व्यवस्थाएं और अनुपालन किए जाने वाले सिद्धांत –

(1) मास्टर, मुख्य इंजीनियर अधिकारी और उनके पोतों पर निगरानी करने वाले सभी कार्मिक प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-VIII/2 में दी गई अपेक्षाओं, सिद्धांतों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे। अपेक्षाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए लिए संप्रेक्षित किया जाएगा कि सुरक्षा निरंतर रूप से प्रचलित परिस्थितियों और शर्तों के अनुसार सभी समय सभी समुद्रगामी पोतों पर समुचित रूप से निगरानी की जा रही है।

2. प्रत्येक पोत का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि निगरानी व्यवस्थाएं सुरक्षा निगरानी को बनाए रखने के लिए, प्रचलित परिस्थितियों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त है, मास्टर के साधारण निदेशों के अधीन यह कि–

(I) नौचालन निगरानी का भारसाधक अधिकारी किसी पोत को उनकी ड्यूटियों की अवधियों के दौरान जब वे नौचालन पुल पर वास्तविक रूप से उपस्थित हो या ऐसे स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से सहबद्ध है अर्थात् चार्ट रूम या सभी समयों पर ब्रिज नियंत्रण कक्ष में उपस्थित है, पोत की सुरक्षा के नौचालन के लिए उत्तरदायी होंगे;

(II) रेडियो आपरेटर अपनी ड्यूटी की अवधि के दौरान समुचित बारम्बारताओं पर निरंतर रेडियो निगरानी बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है;

(III) प्रमुख इंजीनियर अधिकारी के निदेशों के अधीन किसी इंजीनियरिंग निगरानी का भारसाधक अधिकारी, तुरंत उपलब्ध रहेगा और जब अपेक्षित हो मशीनरी स्थलों पर उपस्थित होने के लिए बुलाए जाने पर अपनी आवधिक उत्तरदायित्व के दौरान वास्तविक रूप से मशीनरी स्थान पर उपलब्ध रहेगा; और

(IV) जब पोत लंगर या नौ बंध पर हो सभी समय सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए समुचित और प्रभावी निगरानी बनाई रखी जाएगी यदि पोत में खतरनाक स्थोरा ले जाए जा रहे हो, ऐसी निगरानियों के लिए कोई संगठन खतरनाक स्थोरा की प्रकृति, यात्रा, पैकिंग और स्टोवेज तथा पोत, तटबंध या समुद्र तट पर किन्ही प्रचलित विशेष शर्तो का पूरा ध्यान रखेगा।

अध्याय 9
प्रकीर्ण उपबंध

42. नाविक के लिए न्यूनतम अर्हताएं :-

1. ऐसा कोई भी नाविक जो नौचालन या इंजन कक्ष निगरानी का भाग रूप है, तब तक उसे किसी पोत पर किसी भी हैसियत में नहीं लगाया जाएगा या समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा जब तक कि वह–

(I) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को 18 वर्ष का हो चुका है;

(II) विधि के अधीन स्थापित शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण न कर चुका हो;

(III) अनुमोदित पूर्व समुद्रगामी प्रशिक्षण पूर्ण न कर चुका हो;

(IV) वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सीय जांच) नियम, 1986 और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सीय और शारीरिक योग्यता के मानकों को पूरा न करता हो; और

(V) जन्म की तारीख दर्शाने वाला प्रमाण पत्र और विधिमान्य पासपोर्ट न रखता हो।

43. नियोजक का उत्तरदायित्व :-

(1) कोई भी व्यक्ति, नौचालन या इंजन–कक्ष निगरानी की किसी हैसियत में कार्य करने के लिए किसी नाविक को तब तक नहीं लगाएगा या समुद्र में नहीं ले जाएगा जब तक कि सम्बद्ध मुख्य परीक्षक द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कि वह सुसंगत हैसियत में

नियोजित किए जाने के लिए सभी प्रकार से योग्य है और अधिनियम, नियम और प्रशिक्षण, प्रमाणन और निरागनी मानक संबंधी संहिता की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस प्रकार प्रमाणित करने से पूर्व सम्बद्ध मुख्य परीक्षक यह समाधान करेगा कि नाविक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असल और विधिमान्य है।

44. अवचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई -

(I) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे प्ररूप 15 में आवेदन करने में कोई ऐसी विशिष्टियां प्रस्तुत न करें जो असत्य हों और कोई तात्विक जानकारी न छिपाई जाए। अभ्यर्थियों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे उनके द्वारा सत्यापित या प्रमाणित, प्रस्तुत किसी दस्तावेज या उसकी किसी प्रविष्टि को किसी दशा में सही या तब्दील न करें या उसको अन्यथा विरूपित न करें, न ही वे किसी विरूपित जाली दस्तावेज को प्रस्तुत करें। यदि दो या अधिक ऐसे दस्तावेजों या उनकी सत्यापित या प्रमाणित प्रतियों के बीच कोई अशुद्धि या कोई फर्क है तो इस फर्क के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

2. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो नौवहन महानिदेशक द्वारा निम्नलिखित की बाबत दोषी, घोषित किया जाता है या दोषी घोषित कर दिया गया है–

(I) किसी साधन द्वारा उसकी अभ्यर्थिता का समर्थन अभिप्राप्त करने; या

(II) प्रतिरूपण करने; या

(III) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण उपाप्त करने; या

(IV) जाली दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेज जिन्हें विरूपित किया गया है, को प्रस्तुत करने; या

(V) ऐसे विवरण देने जो असत्य या मिथ्या या तात्विक जानकारी छिपाने वाले हैं; या

(VI) उसकी अभ्यर्थता से संबंधित परीक्षा के लिए अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाने; या

(VII) उसकी अभ्यर्थता से संबंधित परीक्षा के लिए अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाने; या

(VIII) लिपि में विसंगत बात जिसमें अश्लील भाषा या अश्लील विषय भी है, लिखने, या

(IX) परीक्षा भवन में किसी अन्य रीति से दुराचरण करने; या

(X) उनकी परीक्षा के संचालन के लिए नौवहन महानिदेशक द्वारा नियोजित कर्मचारियों को प्रपीड़ित करने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने; या

(XI) पूर्वगामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट समस्त कृत्यों या उनमें से कोई का यथास्थिति, प्रयत्न करने, या उस कृत्य को करने लिए दुष्प्रेरण करने; तो वह स्वयं दांडिक अभियोजन का दायी होने के अतिरिक्त,–

(क) उस परीक्षा से जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, नौवहन महानिदेशक द्वारा निरर्हित किए जाने के लिए ; या

(ख) (I) नौवहन महानिदेशक द्वारा किसी परीक्षा या उसके द्वारा किए गए निर्धारण से

(II) केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियोजन में, या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किए जाने के लिए; और

(ग) यदि वह पहले से ही किसी सेवा में है तो सुसंगत नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने के लिए;

दायी हो सकता है।

45. अपील :-

(1) नौवहन महानिदेशक की पंक्ति से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी सीफेयरर, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर नौवहन महानिदेशक को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

2. नौवहन महानिदेशक द्वारा इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी सीफेयरर, आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकता है।

3. कोई भी अपील ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है:

परन्तु यह कि उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी अपील को ग्रहण किया जा सकता है यदि अपील कर्ता अपील अधिकारी का यह समाधान कर देता है कि विहित अवधि के भीतर अपील नहीं करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

4. इस नियम के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

5. अपील प्राधिकारी किसी अपील के निपटाने से पूर्व अपील कर्ता को सुने जाने का उचित अवसर देगा।

6. अपील को यथा संभव शीघ्रता के साथ किन्तु आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

7. अपील प्राधिकारी, उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है पुष्टि कर सकता है, उपांतरित कर सकता है या उसको उलट सकता है।

46. छूट देने की शक्ति :-

1. जहां नौवहन महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के उपबंधों की सम्पूर्ण अपेक्षाओं का लागू होना अनुचित या असाध्य है तो वह ऐसे अपवादों और शर्तों से जैसा वह आवश्यक समझे, लिखित में आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षाओं से किसी सीफेयरर को छूट दे सकता है।

47. नौहवन महानिदेशक द्वारा पर्यवेक्षण :-

1. नौवहन महानिदेशक यह पर्यवेक्षण करेगा कि सीफेयरर के प्रमाणन के लिए सभी प्रशिक्षण और निर्धारण–

   (क) लिखित कार्यक्रमों के अनुसार संरचित किए जाते है, जिसमें परिदान की ऐसी पद्धति और माध्यम, प्रक्रिया और पाठ्यक्रम सामग्री भी है जो प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के अध्याय 2 से 8 तक में यथा विनिर्दिष्ट दक्षता के मानक को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है,

(ख) प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी संहिता के खंड ए-1/6 के पैरा 4 से 6 के अनुसार अर्हित व्यक्तियों द्वारा संचालित, मानीटर, मूल्यांकित और समर्थित है।

48. खो गए या क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्रों का प्रतिस्थापन :-

(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसका प्रमाण पत्र क्षतिग्रस्त हो गया है या खो गया है उसकी दूसरी प्रति के लिए प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, जिसने प्रमाण पत्र परिदत्त किया था, को आवेदन कर सकता है।

2. प्रत्येक ऐसा आवेदन प्ररूप 16 में होगा और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा;

परन्तु पोत पर आग के कारण किसी प्रमाण पत्र की हानि की दशा में देय फीस प्रभारित नहीं होगी।

3. उप नियम (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्रधान अधिकारी, उसको सम्बद्ध मुख्य परीक्षक को निर्देशित करेगा, जो ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे, आवेदक को यथा साध्य शीघ्रता से किन्तु किसी भी दशा में छह मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्रधान अधिकारी के माध्यम से प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रदान करेगा।

49. परीक्षा के परिणाम का पुनर्विलोकन करना:-

ऐसा अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया है वह प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, को परिणामों की घोषणा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर परिणामों के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा। प्रधान अधिकारी, आवेदन को सम्बद्ध मुख्य परीक्षक को

अग्रषित करेगा जो ऐसे किसी परीक्षक से भिन्न परीक्षक को जिसका मूलतः परीक्षा से संबंध है, मूल्यांकन के पुनर्विलोकन के लिए समनुदेशित करेगा। पुनर्विलोकन के परिणाम का जब अनुमोदन हो जाता है, तब वह अंतिम होगा और ऐसे पुनर्विलोकन के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी। मूल परिणाम उलट देने की दशा में अभ्यर्थी को फीस लौटा दी जाएगी।

50. फीस :–

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा या छूट या दोनों के लिए उसकी पात्रता के अनुसार यथास्थिति, परीक्षा या जांच के लिए प्रत्येक अवसर पर, जसके लिए वह आवेदन करता है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के मापमान के अनुसार फीस का संदाय करेगा।

2. इन नियमों के अधीन संदत्त फीस लौटाई नहीं जाएगी।

51. निरसनः-

1. वाणिज्य पोत परिवहन (मास्टर और मेट की परीक्षा) नियम, 1985 और वाणिज्यिक पोत परिवहन (वाणिज्यिक नौसेना में इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा) नियम, 1989 निरसित किए जाते है।

2. निरसित नियमों के अधीन की गई सभी नियुक्तियां और किए गए कार्य जिन्हे किया गया है या करने का लोप किया गया है इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या किए गए या किया जाने का लोप किया जाना समझा जाएगा।

3. निरसित नियमों के अधीन जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र, नियम 10 के उपबंधों के अधीन पुनः विधिमान्य किए जाएंगे।

अनुसूची

फीस

	लिखित परीक्षा (रुपए में)	मौखिक परीक्षक (रुपए में)	अन्य
1. विदेशगामी पोत का द्वितीय मेट			
(क) नौचालन	500	500	–
(ख) स्थोरा की उठाई-धराई और भरण	500	500	–
(ग) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	500	500	–
(घ) रेडियो संचार	500	500	–
2. विदेशगामी पोत का प्रथम मेट			
(क) नौचालन	500	500	–
(ख) स्थोरा की उठाई-धराई और भरण	500	500	–
(ग) पोत के नियंत्रक प्रचालक और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	500	500	–
(घ) रेडियो संचार	–	–	–
3. विदेशगमी पोत का मास्टर	6000	6000	–
4. एक्स्ट्रा मास्टर	6000	6000	–
5. नौचालन निगरानी अधिकारी :			
(क) नौचालन	250	250	–
(ख) स्थोरा की उठाई-धराई और भरण	250	250	–

(ग) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	250	250	–
(घ) रेडियो संचार	250	250	–
6. देशी व्यापार पोत का मेट :			
(क) नौचालन	1000	1000	–
(ख) स्थोरा की उठाई-धराई और भरण	1000	1000	–
(ग) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	1000	1000	–
(घ) रेडियो संचार	–	–	–
7. देशी व्यापार पोत का मास्टर	3000	3000	–
8. समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी : 4			
(क) समुद्री इंजीनियरी	500	500	–
(ख) विद्युत, इलैक्ट्रोनिक और नियंत्रण इंजीनियरी	500	500	–
(ग) अनुरक्षण और मरम्मत	500	500	–
(घ) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	500	500	–
9. समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 :			
(क) समुद्री इंजीनियरी	1500	1500	–
(ख) विद्युत, इलैक्ट्रोनिक और नियंत्रण इंजीनियरी	1500	1500	–
(ग) अनुरक्षण और मरम्मत	1500	1500	–
(घ) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	1500	1500	–

10 समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी -1	6000	6000	–
11. एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर	6000	6000	–
12. समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी -4 (तटसमीपीय जल यात्रा) :			
(क) समुद्री इंजीनियरी	250	250	–
(ख) विद्युत, इलैक्ट्रोनिक और नियंत्रण इंजीनियरी	250	250	–
(ग) अनुरक्षण और मरम्मत	250	250	–
(घ) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	250	250	–
13. समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 (द्वितीय इंजीनियर, तट समीपीय जल यात्रा) :			
(क) समुद्री इंजीनियरी	1000	1000	–
(ख) विद्युत, इलैक्ट्रोनिक और नियंत्रण इंजीनियरी	1000	1000	–
(ग) अनुरक्षण और मरम्मत	1000	1000	–
(घ) पोत के नियंत्रक प्रचालन और पोत पर व्यक्तियों की सुरक्षा	1000	1000	–
14. समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 (मुख्य इंजीनियर, तट समीपीय जल यात्रा)	3000	3000	–
15. नौचालन निगरानी के रेटिंग भाग रूप	–	500	–

16. इंजन रूम निगरानी के रेटिंग भागरूप	–	500	–
17. सक्षमता प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	–	–	1000
18. परीक्षा परिणाम के पुनर्विलोकन के लिए			
(क) विदेशगामी पोत के या तट समीपीय जल यात्रा में लगे हुए पोतों पर सहायता स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	500
(ख) विदेशगामी पोत के प्रचालन स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	2000
(ग) विदेशगामी पोत के प्रबंध स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	10000
(घ) तट समीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोत के प्रचालन स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	1000
(ङ०) तट समीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोत के प्रबंध स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	2000
19. सख्त आवरण प्रमाण पत्रों का लिखना :			
(क) विदेशगामी पोत के सहायता स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	250
(ख) विदेशगामी पोत के प्रचालन और प्रबंध स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	1000
(ग) तट समीपीय जलयात्रा में लगे हुए पोत प्रचालन और प्रबंध स्तर पर प्रमाण पत्र	–	–	500
20. प्रत्येक अवसर पर परीक्षा के किसी भाग के लिए पात्रता या छूट या दोनों की बाबत जॉच–पड़ताल करना	–	–	1000
21. तेल, रसायन, द्रवीकृत गैस टैंकर, रो-रो यात्री पोत या यात्री पोत पर सेवा के लिए पृष्ठांकन	–	–	1000
22. सक्षमता का पुनर्वैधीकरण प्रमाण पत्र	–	–	2500

प्ररूप सं० 1

(नियम 13 देखिए)

भारत सरकार

विदेशगामी पोत के द्वितीय मेट के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(500 सकल टन भार या अधिक के पोत पर नौ चालन निगरानी के भार साधक अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II /1)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।)

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में विदेशगामी पोत के द्वितीय मेट (नौचालन निगरानी के भार साधक अधिकारी) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किए गए

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप नौ-सलाहकार,
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ–सलाहकार, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 2

(नियम 14 देखिए)

भारत सरकार

विदेशगामी पोत के प्रथम मेट के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(500 सकल टन भार या अधिक के पोत पर मुख्य मेट)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II /2)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।)

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में विदेशगामी पोत के प्रथम मेट के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र

प्रतिहस्ताक्षरित

( ) (शासकीय मुद्रा) ( )

उप नौ-सलाहकार,
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ–सलाहकार, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 3

(नियम 15 देखिए)

भारत सरकार

विदेशगामी पोत के मास्टर के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(500 सकल टन भार या अधिक के पोत पर मास्टर)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम II /2)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।)

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में विदेशगामी पोत के (मास्टर) के मास्टर के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र के विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया
इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।
प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....
प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....
प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र
प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप नौ-सलाहकार,
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ–सलाहकार, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 4

(नियम 16 देखिए)

(एक्स्ट्रा मास्टर के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र)

भारत सरकार

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

आप वाणिज्यिक नौसेना में विदेशगामी पोत के मास्टर कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

यह प्रमाण पत्र तारीख..... को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जा रहा है।

प्रमाण पत्र सं० .....तारीख.....को जारी किया गया।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छाया चित्र

(शासकीय मुद्रा)

प्रतिहस्ताक्षरित

( ) ( )

उप नौ-सलाहकार
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ-सलाहकार,भारत सरकार

प्ररूप सं० 5

(नियम 17 देखिए)

भारत सरकार

नौचालन निगरानी अधिकारी (तट समीपीय जलयात्रा) के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा में चल रहे 500 सकल टन भार या अधिक के पोतों पर नौचालन निगरानी के भार साधक अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम I/3 के साथ पठित विनियम II/1)

(केवल बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने वाले क्षेत्रों के लिए विधिमान्य)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत के नौ चालन निगरानी अधिकारी नौ चालन निगरानी के भार साधक अधिकारी तट समीपीय जलयात्रा के मास्टर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/1 के उपबंधों के अनुसार, सम्यक् रूप से अर्हित पाया गया और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने जाने वाले जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय क विनियम 1/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप नौ-सलाहकार,
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ–सलाहकार, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 6

(नियम 18 देखिए)

भारत सरकार

देशी व्यापार पोत के मेट के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा में चल रहे 500 और 3000 सकल टन भार के बीच वाले पोतों पर मुख्य मेट)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम I/3 के साथ पठित विनियम II/2)

(केवल बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने वाले क्षेत्रों के लिए विधिमान्य)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत के देशी व्यापार पोत के मेट (मुख्य मेट तटसमीपीय जलयात्रा) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार, सम्यक रूप से अर्हित पाया है गया और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने जाने वाले जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप नौ-सलाहकार,
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ–सलाहकार, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 7

(नियम 19 देखिए)

भारत सरकार

देशी व्यापार पोत के मास्टर के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा में चल रहे 500 और 3000 सकल टन भार के बीच वाले पोतों पर मास्टर)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम I/3 के साथ पठित विनियम II/2)

(केवल बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने वाले क्षेत्रों के लिए विधिमान्य)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत के देशी व्यापार पोत के मास्टर (मास्टर तटसमीपीय जलयात्रा) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम II/2 के उपबंधों के अनुसार, सम्यक रूप से अर्हित पाया है गया और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने जाने वाले जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया.

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप नौ-सलाहकार,
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
नौ–सलाहकार, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 8

(नियम 21 देखिए)

भारत सरकार

समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(पोतों की इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III /1)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।)

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 4 (इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 9

(नियम 22 देखिए)

भारत सरकार

समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III /2)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।)

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 2 (द्वितीय इंजीनियार अधिकारी) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया
इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम 1/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।
प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....
प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....
प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 10

(नियम 23 देखिए)

भारत सरकार

समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(पोतों पर द्वितीय इंजीनियर अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम III /2)

(वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।)

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 1 (मुख्य इंजीनियार अधिकारी) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/2 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित पाया गया है और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र स०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र (शासकीय मुद्रा)

प्रतिहस्ताक्षरित

( ) ( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 11

(नियम 24 देखिए)

(एक्स्ट्रा प्रथम श्रेणी इंजीनियर के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र)

भारत सरकार

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

आप वाणिज्यिक नौसेना में किसी पोत के समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-1 कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

यह प्रमाण पत्र तारीख..... को परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जा रहा है।

प्रमाण पत्र सं० .....तारीख.....को जारी किया गया।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छाया चित्र

(शासकीय मुद्रा)

प्रतिहस्ताक्षरित

( ) ( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

प्ररूप सं० 12

(नियम 25 देखिए)

भारत सरकार

समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-4 (तट समीपीय जलयात्रा) के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा में चल रहे पोतों की इंजीनियरी निगरानी के भारसाधक अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम I/3 के साथ पठित विनियम III/1)

(केवल बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने वाले क्षेत्रों के लिए विधिमान्य)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत के समुद्री इंजीनियरी अधिकारी श्रेणी 4 (इंजीनियरी निगरानी तट समीपीय जलयात्रा) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/1 के उपबंधों के अनुसार; सम्यक रूप से अर्हित पाया गया और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने जाने वाले जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हो)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम 1/2; पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....
..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....
सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप स० 13

(नियम 26 देखिए)

भारत सरकार

समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा में चल रहे पोतों की द्वितीय इंजीनियरी अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम I/3 के साथ पठित विनियम III/3) (केवल बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने वाले क्षेत्रों के लिए विधिमान्य) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत के समुद्री इंजीनियरी अधिकारी श्रेणी 3 (द्वितीय इंजीनियर तट समीपीय जलयात्रा) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/3 के उपबंधों के अनुसार, सम्यक रूप से अर्हित पाया गया और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने जाने वाले जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट है, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र स०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति; किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( ) ( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 14

(नियम 27 देखिए)

भारत सरकार

समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी-3 के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र

(तट समीपीय जलयात्रा में चल रहे पोतों की मुख्य इंजीनियर अधिकारी)

(प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय का विनियम I/3 के साथ पठित विनियम III/3)

(केवल बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने वाले क्षेत्रों के लिए विधिमान्य)

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 78 और 1995 में यथासंशोधित, सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अन्तरराष्ट्रीय अभिसमय 1978 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र।

सेवा में,

---

1. आप वाणिज्यिक नौसेना में पोत के समुद्री इंजीनियर अधिकारी श्रेणी 3 (मुख्य इंजीनियर तट समीपीय जलयात्रा) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाए गए हैं, अतः, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको यह सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

2. भारत सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऊपर नामित व्यक्ति, यथासंशोधित प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानक संबंधी अभिसमय के विनियम III/3 के उपबंधों के अनुसार, सम्यक रूप से अर्हित पाया गया और.....तक या इस प्रमाण पत्र की विधिमान्यता के किसी विस्तार की समाप्ति की तारीख तक, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के पत्तनों के बीच आने जाने वाले जलयानों और नीचे उपदर्शित सीमाओं के अध्यधीन, विनिर्दिष्ट स्तरों तक, निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करने के लिए सक्षम पाया गया है।

कृत्य	स्तर	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

इस प्रमाण पत्र का विधिपूर्ण धारक निम्नलिखित हैसियतों में जैसा कि भारत सरकार को लागू सुरक्षित संचालन अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट हैं, सेवा कर सकता है।

हैसियत	लागू होने वाली सीमाएं (यदि कोई हों)

प्रमाण पत्र सं०..... तारीख ..... को जारी किया गया

इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति, किसी पोत पर सेवा करते समय, अभिसमय के विनियम I/2, पैरा 9 के अनुसार उपलभ्य रखी जाए।

प्रमाण पत्र धारक के जन्म की तारीख और स्थान .....

प्रमाण पत्र धारक के हस्ताक्षर .....

प्रमाण पत्र धारक का छायाचित्र प्रतिहस्ताक्षरित

(शासकीय मुद्रा)

( )

उप मुख्य सर्वेक्षक
भारत सरकार

( )

मुख्य परीक्षक
मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

इस प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.....

..... तक बढ़ाई जाती है।

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया फोटो

(शासकीय मुद्रा)

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

.....

सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी का नाम

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

पुनर्वैधीकरण की तारीख.....

प्ररूप सं० 15

(नियम 44 देखिए)

भारत सरकार

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

विदेशगामी और तटसमीपीय जलयात्रा व्यापार के संचालन के लिए, वाणिज्य पोत परिवहन (सीफेयरर के लिए प्रशिक्षण, प्रमांणन और निगरानी मानक संबंधी) नियम, 1998 के अधीन प्रमाण मत्रों के लिए परीक्षा और निर्धारण के लिए आवेदन।

क. वैयक्तिक विवरण :

1. पूरा नाम .....
   (स्पष्ट अक्षरों में) (उपनाम) (अन्य नाम)
2. स्थायी पता .....
   .....
3. वर्तमान पता .....
   .....

फोटो

4. टेलीफोन नं० (यदि कोई हो) .....
5. राष्ट्रीयता (सबूत प्रस्तुत करें) .....
6. पास पोर्ट सं० .....
7. जारी करने की तारीख और स्थान .....
8. निरंतर निर्वहण प्रमाण पत्र (सी०डी०सी०) सं० .....
9. जारी करने की तारीख और स्थान .....
   .....
10. जन्म की तारीख ..... 11. जन्म स्थान .....
    (सबूत प्रस्तुत करें)
12. वैयक्तिक चिह्न .....

टिप्पण:– जो कोई स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई मिथ्या व्यपदेशन करता है, किया जाना कारित करता है या करने में सहायता करता है, वह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 182 और धारा 420 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा।

ख. विद्यालयी शिक्षा के ब्यौरे :
(पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

1. विद्यालयी शिक्षा का स्तर :.....

2. मुख्य विषय : .....

3. उत्तीर्ण करने का वर्ष : .....

4. विद्यालय / महाविद्यालय / बोर्ड : .....

5. संस्था का पता : .....

ग. पूर्व–समुद्र प्रशिक्षण / समुद्री इंजीनियरी कर्मशाला के ब्यौरे : .....
(पृथक पृष्ठ संलग्न करें)

1. प्रशिक्षण संस्था : .....

2. संस्था का पता : .....

3. ..... से .....तक उपस्थित हुए।

4. परिणाम : .....

5. पाठ्यक्रम-उपस्थिति : .....

घ.-I समुद्रगामी सेवा के ब्योरे (डेक विभाग के कार्मिक के लिए) :

पोत का नाम	प्रकार	सकल टन भार	रजिस्ट्री पत्तन/ शासकीय स०	ट्रेड तट समीपीय जलयात्रा/ विदेशगामी	पंक्ति	से	तक	अवधि		टिप्पणिया
								मास	दिन	

घ 2 समुद्रगामी सेवा के ब्यौरे (इंजन विभाग के कार्मिक के लिए) :

				ट्रेड		सेवा की प्रकृति	तारीख		अवधि	
रसा पत्र की सं०	पोत का नाम, स्टीमशिप या मोटर जलयान	शासकीय सं०	किलोवाट रजिस्ट्रीकृत शक्ति	विदेशगामी या तट समीपीय जलयात्रा या भारतीय नौसेना पोत या तट रक्षक	पंक्ति	बताएं क्या निम्नलिखित का पालन किया गया I. फिटर के कार्य के संबंध में, या तो दिन में या डेक या इंजन या बायलर कक्षों में निगरानी, II. अनुषंगी या प्रशीतक के संबंध में नियमित निगरानी III. मुख्य इंजनों पर नियमित निगरानी IV.मुख्य बायलरों पर नियमित निगरानी V. मुख्य इंजनों और बायलरों में साथ-साथ निगरानी VI. पोत पर भागत; या पूर्णत : मशीनरी स्थान	से	तक	मास	दिन
						* समुचित रोमन संख्याकों का III, IV और VI के लिए प्रयोग पर्याप्त होगा	निवल अर्हक सेवा			

ङ. पोत पर संरचित प्रशिक्षण के संबंध में रिपोर्ट :

	समापन की तारीख	मास्टर का नाम	सक्षमता प्रमाण पत्र के ब्यौरे
फेज-1			
फेज-2			
फेज-3			
फेज-4			

अभिहित किए गए कंपनी प्रशिक्षण अधिकारी की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर : प्रमाण पत्र सं० :

नाम :

निर्धारण केन्द्र के प्रधान की रिपोर्ट :

हस्ताक्षर : शासकीय मुद्रा

नाम :

च. निर्धारण केंद्र की रिपोर्ट :

1. अनुमोदित संस्थाओं में समुद्रोत्तर अनुमोदित शिक्षा और प्रशिक्षण स्तर .....

कृत्य/भाग	संस्था	से	तक	टिप्पणियां

2. निर्धारण केन्द्र के प्रधान की टिप्पणियां :

संचालन संबंधी-स्तर परीक्षा / निर्धारण के लिए पात्रता

हस्ताक्षर :

नाम : शासकीय मुद्रा :

छं. प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी अभिसमय माडयूलर पाठ्यक्रमों (समुद्रोत्तर) के विवरण

क्रम सं०	पाठ्यक्रम	प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी विनियम/संहिता ए	अनुमोदित संस्था	अवधि		विधि मान्यता
				से	तक	

ज. पूर्व प्रमाण पत्र (भारत में या अन्यत्र जारी किया गया, यदि कोई नही है तो ऐसा लिखें) :

संख्या	प्रमाण पत्र के ब्यौरे	वर्ग/ग्रैड	परीक्षा का स्थान और तारीख		यदि किसी समय निलंबित या रद्द किया गया है, तो उल्लेख करें		
			परीक्षा	इश्यू (भाग)	प्राधिकारी का न्यायालय	तारीख	कारण

I. अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा :

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही हैं और इस प्ररूप में प्रमाणित तथा इसके साथ भेजे गए कागज पत्र सत्य और प्रमाणित दस्तावेज हैं और वे उस व्यक्ति द्वारा दिए गए और हस्ताक्षरित हैं जिसका नाम उन पर है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि विवरण 'घ' बिना किसी अपवाद के मेरी सम्पूर्ण समुद्री सेवा का शुद्ध लेखा है और मैं यह घोषणा उसके सत्य होने का विश्वास करते हुए, शुद्ध अंतः करण से करता हूँ।

उपर्युक्त घोषणा पर मेरी उपस्थिति
में हस्ताक्षर किए गए

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मास्टर और मेट/इंजीनियर अधिकारी का परीक्षक
समुद्री वाणिज्य विभाग
.....जिला

ज. परीक्षा के लिए स्थान के आबंटन का अनुरोध :

मास	संदत्त फीस			कृत्य	स्तर	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और तारीख	परीक्षक/ एसेसर के हस्ताक्षर
	रकम	तारीख	द्वारा प्राप्त की गई				

झ. परीक्षा का परिणाम (केवल शासकीय प्रयोजन के लिए) :

मास	परीक्षा केन्द्र	कृत्य		चिकित्सीय* जांच	परिणाम	परीक्षक एसेसर
		लिखित निर्धारण	मौखिक			

* ब्यौरे के लिए पृथक पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।

ठ. परीक्षा केन्द्र की रिपोर्ट :

(1) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ..... ने ग्रैड के लिए यथा अपेक्षित समुद्रगामी सेवा/निगरानी सेवा / अनुमोदित कार्यशाला प्रशिक्षण के शंसा पत्र और सबूत मेरे समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं।

(2) अभ्यर्थी..... ग्रैड के संबंध में वाणिजिक पोत परिवहन (सीफेयरर, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी मानक) नियम, 1998 की अपेक्षाओं का पालन करता है।

(3) अभ्यर्थी ने कृत्यों के संबंध में अपनी परीक्षाएं निम्नलिखित रूप में उत्तीर्ण कर ली हैं :–

कृत्य	परीक्षा केन्द्र	मास	टिप्पणी

ड. मास्टरों और मेटों/ इंजीनियर अधिकारियों के मुख्य परीक्षक के लिए :–

(1) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि .....जिनका जन्म.....तारीख को ..... में हुआ है, ने समुद्रगामी सेवा/निगरानी सेवा के शंसापत्र और सबूत मेरे समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत कर दिए हैं।

(2) अभ्यर्थी..... ग्रैड के संबंध में वाणिजिक पोत परिवहन (सीफेरर, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी संबंधी मानक) नियम, 1998 की अपेक्षाओं का पालन करता है।

(3) अभ्यर्थी ने कृत्यों के संबंध में अपनी परीक्षाएं निम्नलिखित रूप में उत्तीर्ण कर ली हैं :–

कृत्य	परीक्षा केन्द्र	मास	टिप्पणी

अभ्यर्थी..... के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए पात्र होने की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

सक्षमता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के लिए समुद्री वाणिज्य विभाग को अग्रेषित किया जाए।

मास्टर और मेट / इंजीनियर अधिकारी का परीक्षक
समुद्री वाणिज्य विभाग

ढ. प्रमाणन पूर्व अंतिम निर्धारण :

चिकित्सीय आरोग्यता पूर्व समुद्री प्रशिक्षण पोत पर संरचित प्रशिक्षण समुद्री सेवा अपेक्षा लिखित परीक्षा (निर्धारण) मौखिक निर्धारण मोडयूलर पाठ्यक्रम	प्रास्थिति
पात्रता	हां/नहीं

समुद्री वाणिज्य विभाग द्वारा सिफारिश किए गए रूप में.....
ग्रैड के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

नौवहन महानिदेशालय में
मास्टर और मेट/ इंजीनियर अधिकारी का एसेसर

टिप्पणियां.....

मुख्य परीक्षक
(मास्टर और मेट/इंजीनियर अधिकारी)

प्ररूप-16

(नियम 48 देखिए)

सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि जारी किए जाने के लिए आवेदन

(क) पूरा नाम : .....

जन्म की तारीख और स्थान .....

(ख) सक्षमता का प्रमाणपत्र, जिसकी प्रमाणित प्रति अपेक्षित है, के ब्यौरे .

ग्रेड..... स० .....

उत्तीर्ण करने की तारीख .... में जारी किया गया।

(ग) पिछले बारह मासों के भीतर सेवा के ब्यौरे :

पोत का नाम	रजिस्ट्री पत्तन शासकीय सं०	क्षमता	से	तक	टिप्पणियां

(घ) (i) मै यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप के भाग (क), (ख) और (ग) में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से सही और सत्य है, और धारा (ख) में उल्लिखित सक्षमता प्रमाण पत्र निम्नलिखित परिस्थितियो में विरूपित/नष्ट/ खो गए थे।

(ii) सक्षमता प्रमाणपत्र की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि..... ....पत्तन पर मुझे दी जाए।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

ङ. केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए :

(i) उपरोक्त कथन मेरी उपस्थिति मे हस्ताक्षरित किया गया था और यह सिफारिश की जाती है कि ऊपर उल्लिखित सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जारी की जाए।

प्रधान अधिकारी
समुद्री वाणिज्य विभाग
....जिला

(ii) प्रमाणित प्रति संलग्न है समुचित फीस प्रभारित की जाए/ नही की जाए।

(iii) प्रमाणित प्रति जारी की जाती है .....की फीस प्राप्त की

प्रधान अधिकारी

टिप्पणी : उन शब्दों को जो लागू न हो काट दे।

प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि के जारी किए जाने पर यह प्ररूप सबधित मुख्य परीक्षक को वापस किया जाएगा।

[फाईल सं. एस. आर.-11012/12/97-एमए]

के. आर. भाटी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1998

G.S.R. 191 (E).— In exercise of the powers conferred by section 87, 98, 457 and 458 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER 1

General Provisions

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) Rules, 1998.

(2) These rules shall come into force on the 1st day of August, 1998.

2. **Application.**— These rules shall apply to,—

(a) any candidate who is a citizen of India; and

(b) any other candidate who is not a citizen of India and is permitted by the Chief Examiner concerned to be examined, assessed and certified under these rules.

3. **Objective.**— The objective of these rules is to give full effect of implementation to the provisions of International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended on the 7th day of July, 1995 and as adopted by International Maritime Organisation, London.

4. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "Appropriate certificate" means a certificate issued and endorsed in accordance with the provisions of these rules and entitling the lawful holder thereof to serve in the capacity and perform the functions involved at the level of responsibility specified therein on a ship of the type, tonnage or power and means of propulsion indicated by the endorsement while engaged on the particular voyage concerned;

(c) "Approved" means approved by the Central Government;

(d) "Training and Assessment Programme" means the programme of training and assessment of seafarers as approved by the Central Government;

(e) "Assessment Centre" means a centre designated by the Director General of Shipping responsible for assessment of candidates and maintaining records for the purposes of assessment;

(f) "Certificate of competency" means an appropriate certificate issued by the Government of India for the purposes of rule 5;

(g) "Chief Examiner" means the Chief Examiner of Master and Deck Department personnel or the Chief Examiner of Engine Department personnel, as the case may be;

(h) "Company" means the owner of the ship or any other organisation or person such as the manager or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for operation of the ship from the shipowner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take all the duties and responsibilities imposed on the company by the STCW Convention;

(i) "Examiner" means Principal Officer Nautical, Deputy Nautical Adviser, Nautical Surveyor or Principal Officer Engineering,

Deputy Chief Surveyor, Engineer and Ship Surveyor, as the case may be, appointed under section 79 of the Act;

(j) "Form" means a form appended to these rules;

(k) "Month" means a month reckoned according to the British calendar. The time included between any given day in any month and the preceding day of the following month (both days inclusive) shall be reckoned as one month;

(l) "Near-Coastal Voyages" means the coastal trade or voyages from any port or place in Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka to any other port or place in these countries including proximity of safe havens on such voyages;

(m) "STCW Convention" means International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended on the 7th day of July, 1995;

(n) "STCW Code" means Seafarers' Training, Certification and Watchkeeping Code adopted by the 1995 conference of Parties to the STCW Convention;

(o) "Year" means a year reckoned according to the British calendar.

(2) Words and phrases used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

5. **Issuance of certificate of competency.-** (1) A Certificate of Competency may be issued for the following grades, namely:-

(i) Second Mate of a Foreign-going Ship;

(ii) First Mate of a Foreign-going Ship;

(iii) Master of a Foreign-going Ship;

(iv) Extra Master;

(v) Navigational Watch-keeping Officer;

(vi) Mate of a Home Trade Ship;

(vii) Master of a Home Trade Ship;

(viii) Marine Engineer Officer Class IV;

(ix) Marine Engineer Officer Class III;

(x) Marine Engineer Officer Class II;

(xi) Marine Engineer Officer Class I;

(xii) Extra First Class Engineer;

6. **Training and assessment.-** (1) The Chief Examiner concerned shall ensure that the training and assessment of candidates for certification as a seafarer are administrered, supervised and monitored in accordance with the provisions of the Act, these rules and the STCW Code, and those persons responsible for imparting the training and assessment as required under the STCW Convention, are appropriately qualified for the type and level of

training and assessment of competence in accordance with the provisions of the Act, these rules and the STCW Code.

7. **Quality standards.-** (1) The Chief Examiner concerned shall ensure that all the training, assessment of competence, certification, endorsement and revalidation activities under his authority are continuously monitored through a quality standards system including the qualifications and experience of instructors and assessors.

8. **Standards of medical fitness.-** (1) Every candidate for certification as a seafarer shall provide satisfactory proof of the following documents to the Chief Examiner concerned, namely:-

(a) a valid passport;

(b) a certificate showing the date of birth; and

(c) a medical fitness certificate including eyesight and hearing as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 1986.

(2) The standards of medical fitness for the candidates shall be the same as given in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 1986.

9. **Examination, assessment, certification and registration of certificates.-**

(1) The Director General of Shipping shall designate an Assessment Centre.

(2) The Assessment Centre shall -

(a) maintain records of all candidates with regard to their sea-going service, progress of ashore and on-board training, courses attended, examinations and assessments completed and certificates held by the seafarers;

(b) receive periodical returns of the progress of ashore and on-board training and also monitor such returns;

(c) examine the documentary evidence that the candidate has fulfilled the eligibility criteria for joining an approved training and assessment programme; and

(d) assist the Chief Examiner or Examiner concerned, as the case may be, in the conduct of written, oral and practical examinations and assessment on completion of the approved training and assessment programme for each function.

(3) Every seafarer shall carry all appropriate certificates in original while serving in a relevant capacity on board a ship in accordance with the applicable safe manning requirements as provided in these rules.

10. **Revalidation and upgrading of certificates.-** (1) Every seafarer who holds an appropriate certificate in accordance with the Convention, the Act and the rules framed thereunder prior to the date of commencement of these rules, may apply for revalidation and upgrading during the transitional period of the STCW convention that is from the 1st day of February, 1997 to the 1st day of February, 2002 (both days inclusive). Such candidate shall,–

(i) meet the standards of medical fitness as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 1986 and the STCW Code;

(ii) complete an approved refresher and updating course in accordance with section A-I/11 of the STCW Code;

(iii) be subject to scrutiny and assessment by an assessment centre; and

(iv) be issued with a certificate regarding complying with the requirements of the STCW Convention whereupon the earlier certificate shall be withdrawn.

(2) Every seafarer holding an appropriate certificate who is serving at sea or intends to return to sea for service after a period ashore in

order to continue to qualify for sea-going service, at intervals not exceeding five years, shall -

(i) meet the standards of medical fitness as prescribed in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 1986 and the STCW Code;

(ii) establish continued professional competence by attending an approved revalidation course in accordance with section A-I/11 of the STCW Code;

(iii) be subject to scrutiny and assessment by an assessment centre; and

(iv) be issued with an endorsement revalidating the candidate's certificate.

11. **Indian Naval officers.-** Indian Naval officers holding valid certificates of service issued prior to coming into force of the Merchant Shipping (Examination of Masters and Mates) Rules, 1985 and Merchant Shipping (Examination of Engineer Officers in the Merchant Navy) Rules, 1989 who intend to become holders of a certificate of competency complying with the requirements of these rules shall be required to complete approved training and assessment programme prior to issuance of a certificate of competency. Such candidate's existing experience, qualifications and certificates shall form the basis for determining qualifying merchant ship sea-going service as per approved training and assessment programme.

12. **Responsibilities of the company.-** (1) The company shall provide written instructions to the Master for policies and procedures and be responsible for the assignment of seafarers for service in their ships in accordance with the provisions of these rules and the STCW Convention and it shall ensure that -

(a) each seafarer assigned to any of its ships holds an appropriate certificate in accordance with the provisions of the STCW Convention;

(b) its ships are manned in compliance with the applicable safe manning requirements as provided in these rules;

(c) documentation and data including their experience, training, medical fitness and competency in assigned duties relevant to all seafarers employed on its ships, are maintained and readily accessible to all concerned,

(d) seafarers, on being assigned to any of its ships, are familiarised with their specific duties and with arrangements, installations, equipments, procedures and ship characteristics that are relevant to their routine or emergency duties;

(e) the ship's complement can effectively co-ordinate their activities in an emergency situation and in performing functions vital to safety or to the prevention or mitigation of pollution; and

(f) the Master of the ship under whose command an individual seafarer sails on a particular ship shall be responsible to the company in respect of his duties and obligations.

CHAPTER II

Master and Deck Department

13. **Minimum requirements for certification of officer in charge of a navigational watch (Second Mate of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more.-** (1) Every officer in charge of a navigational watch serving on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more shall hold an appropriate certificate of competency in Form 1.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) have approved sea-going service for a period of one year or more as part of an approved training and assessment programme which includes on-board training in accordance with the requirements of section A-II/1 of the STCW Code and is documented in an approved training record book for assessment or otherwise have approved sea-going service for a period of not less than three years;

(iii) have performed bridge watch-keeping duties for a period of not less than six months during the required sea-going service

under the supervision of the Master or an officer of the Deck Department holding a certificate of competency under rule 5;

(iv) meet the requirements of rule 29 for performing designated radio duties as a Radio Operator; and

(v) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-II/1 of the STCW Code.

14. **Minimum requirements for certification of Chief Mate (First Mate of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more.-** (1) Every Chief Mate on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more shall hold an appropriate certificate of competency in Form 2.

(2) Every candidate for certification shall -

(i) hold a certificate of competency as Second Mate of a foreign-going ship (Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more);

(ii) have approved sea-going service for a period of not less than eighteen months; and

(iii) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence

specified in section A-II/2 of the STCW Code for Masters and Chief Mates on ships of 3000 gross tonnage or more.

15. **Minimum requirements for certification of Master (Master of a foreign-going ship) on ships of 500 gross tonnage or more.-** (1) Every master on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more shall hold an appropriate certificate of competency in Form 3.

(2) Every candidate for certification shall -

(i) hold a certificate of competency as First Mate of a foreign-going ship (Chief Mate on ships of 500 gross tonnage or more);

(ii) have approved sea-going service as an officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more for a period of not less than three years. However, this period may be reduced by the Chief Examiner concerned to a period of not less than thirty months, or pro-rata, if not less than one year of such sea-going service served as Chief Mate;

(iii) have completed an approved ship management course;

(iv) have completed approved simulator training in shiphandling and manoeuvring; and

(v) have completed approved examination and assessment.

16. **Minimum requirements for certification of Extra Master .-** (1) An Extra Master certificate in Form 4 is an optional certificate and is an evidence that the candidate has attained a higher level of professional excellence.

(2) Every candidate for the certification shall -

(i) hold a certificate of competency as Master of a foreign-going ship (Master on ships of 500 gross tonnage or more);

(ii) have completed an approved training and assessment programme conducted by an approved institution; and

(iii) have completed the approved examination and assessment.

(3) Every candidate who meets the requirements of this rule, shall be issued an Extra Master certificate of competency. This shall be issued in addition to the certificate of competency as Master of a foreign-going ship (Master on ships of 500 gross tonnage or more) as per regulation II/2 of STCW Convention and section A-II/2 of the STCW Code held by the candidate.

17. **Minimum requirements for certification of officer in charge of a navigational watch (Navigational Watch-keeping Officer) on ships of 500 gross tonnage or more operating in Near-Coastal Voyages.-** (1) Every officer in charge of a navigational watch serving on a sea-going ship of between 500 gross tonnage and

3000 tonnage operating in Near-Coastal Voyages shall hold an appropriate certificate of competency in Form 5.

(2) Every candidate for the certification shall -

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) have approved sea-going service of not less than eighteen months as part of an approved training and assessment programme which includes on-board training and meets the requirements of the Tables of competence for the certification as contained in section A-II/2 of the STCW Code as applicable to ships engaged in Near-Coastal Voyages and is documented in an approved training record book or otherwise have approved sea-going service of not less than three years. A candidate who has performed approved sea-going service on a ship of less than 500 gross tonnage shall be assessed at two-thirds of the actual sea-going service claimed;

(iii) have performed, bridge watch-keeping duties for a period of not less than six months during the required sea-going service under the supervision of the Master or an officer of the Deck Department holding a certificate of competency under rule 5;

(iv) meet the requirements of rule 29 for performing designated radio duties; and

(v) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard for competence as specified in the approved training and assessment programme.

18. **Minimum requirements for certification of Chief Mates (Mate of a home-trade ship) on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages.-** (1) Every Chief Mate on a sea-going ship of between 500 and 3,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages shall hold an appropriate certificate of competency in Form 6.

(2) Every candidate for the certification shall,-

(i) hold a certificate of competency as Navigational Watch-keeping Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more on Near-Coastal Voyages;

(ii) have approved sea-going service of not less than eighteen months; and

(iii) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-II/2 of the STCW Code for Masters and Chief Mates on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage.

19. **Minimum requirements for certification of Masters on ships (Master of a home-trade ship) of between 500 and 3,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages.-** (1) Every Master on a sea-going ship of between 500 and 3,000 gross tonnage operating in Near-Coastal Voyages shall hold an appropriate certificate of competency in Form 7.

(2) Every candidate for the certification shall -

(i) hold a certificate of competency as Mate of a home-trade ship (Chief Mate) in Near-Coastal Voyages on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage;

(ii) have approved sea-going service as an officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more operating in Near-Coastal Voyages of not less than three years. However, this period may be reduced by the Chief Examiner concerned to a period of not less than thirty months, or pro-rata, if not less than one year of such sea-going service served as Chief Mate on ships of between 500 gross tonnage and 3000 tonnage operating in Near-Coastal Voyages;

(iii) have completed an approved ship management course;

(iv) have completed approved simulator training in shiphandling and manoeuvring, or ninety days approved sea-going service as Chief Mate on Near-Coastal Voyages; and

(v) have completed approved examination and assessment.

20. **Minimum requirements for certification of ratings forming part of a navigational watch.-** (1) Every rating forming part of a navigational watch on a sea-going ship of 500 gross tonnage or more, other than ratings under training and ratings whose duties while on watch are of an unskilled nature, shall be duly certificated by the Chief Examiner concerned to perform such duties.

(2) Every candidate for the certification shall -

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) have completed –

(a) approved sea-going service for a period of not less than nine months: or

(b) approved pre-sea training or special training for a period of ninety days and approved sea-going service for a period of not less than six months; and

(iii) meets the standard of competence as specified in section A-II/4 of the STCW Code.

(3) The sea-going service, training and experience as required by clause (ii) of sub-rule (2) shall be associated with navigational watchkeeping functions and shall also involve the performance of duties carried out on board the ship under the direct supervision of the Master or the officer in charge of the navigational watch or a certified rating duly documented in an approved rating training record book

(4) Rating who has served in a relevant capacity in the Deck Department for a period of not less than one year within the last five years preceding the 1st day of August, 1998 shall be eligible for assessment by the assessment centre.

CHAPTER III

Engine Department

21. **Minimum requirements for certification of officer in charge of an engineering watch in a manned engine room or designated duty engineer in a periodically unmanned engine room (Marine Engineer Officer Class IV).-** (1) Every officer in charge of an engineering watch serving on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 KW propulsion power or more shall hold an appropriate certificate of competency in Form 8.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) have completed approved education and training for a period of at least thirty months as provided in an approved training and assessment programme including on-board training documented in an approved training record book and meet the standards of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code;

(iii) have completed approved sea-going service for a period of not less than six months in the Engine Department of a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 KW propulsion power or more, closely supervised and monitored by a Marine Engineer Officer Class I or an officer of the Engine Department holding certificate of competency under rule 5 and which is duly documented in an approved training record book in accordance with section A-III/1 of the STCW Code; and

(iv) have completed approved education, training, examination, assessment and meets the standard of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code.

22. **Minimum requirements for certification of second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class II).-** (1) Every second engineer officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 3,000 KW propulsion power or more shall hold an appropriate certificate of competency in Form 9.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class IV (Officer in charge of an engineering watch);

(ii) have not less than one year approved sea-going service as assistant engineer officer or engineer officer in charge of an engineering watch; and

(iii) have completed approved education, training, examination and assessment and meets the standard of competence as specified in section A-III/2 of the STCW Code.

23. **Minimum requirements for certification of Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I).-** (1) Every chief engineer officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more shall hold an appropriate certificate of competency in Form 10.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class II (Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more);

(ii) have not less than eighteen months as approved sea-going service as engineer officer in charge of an engineering watch on ships powered by main propulsion machinery of 3000 KW propulsion power or more;

(iii) have completed an approved engineering management course;

(iv) have completed approved machinery space simulator training; and

(v) have completed approved examination and assessment.

24. **Minimum requirements for certification of Extra First Class Engineer.-** (1) An Extra First Class Engineer certificate of competency in Form 11 is an optional certificate and is an evidence that the candidate has attained a higher level of professional excellence.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) hold a certificate of competency as Chief Engineer Officer for sea-going ships of 3000 KW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I);

(ii) have completed an approved training and assessment programme conducted by an approved institution; and

(iii) have completed the approved examination and assessment.

(3) Every candidate who meets requirements of this rule, shall be issued with an Extra First Class Engineer certificate of competency. This shall be issued in addition to the certificate of competency as Chief

Engineer Officer on ships of 3000 KW propulsion power or more (Marine Engineer Officer Class I) as per regulation III/2 of the STCW Convention and section A-III/2 of the STCW Code held by the candidate.

25. **Minimum requirements for certification of officer in charge of an engineering watch in a manned engine room or designated duty engineer in a periodically unmanned engine room of ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power, operating in Near-Coastal Voyages (Marine Engineer Officer Class IV - Near-Coastal Voyages).-** (1) Every Officer in charge of an engineering watch serving on a sea-going ship of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages shall hold an appropriate certificate of competency in Form 12.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) have completed approved training and assessment programme for a period of thirty months including on-board training duly documented in an approved training record book

and meet the standard of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code as applicable to ships engaged in Near-Coastal Voyages;

(iii) have completed for a period of not less than six months approved sea-going service in the engine department on ships powered by main propulsion machinery of 750 KW or more closely supervised and monitored by a Marine Engineer Officer Class III which is duly documented in an approved training record book as specified in section A-III/1 of the STCW Code as applicable to ships engaged in Near-Coastal Voyages; and

(iv) have completed approved education, training, examination and assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/1 of the STCW Code as applicable to the ships engaged in Near-Coastal Voyages.

26. **Minimum requirements for certification of Second Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyage (Marine Engineer Officer Class III - Second Engineer Officer - Near-Coastal Voyages).-** (1) Every Second Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion

machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages, shall hold an appropriate certificate of competency in Form 13.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) hold a certificate as officer in charge of an engineering watch on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages (Marine engineer Officer Class IV - Near-Coastal Voyages);

(ii) have not less than one year approved sea-going service as an assistant engineer officer or engineer officer in charge of an engineering watch; and

(iii) have completed approved education, training, examination, assessment and meet the standard of competence as specified in section A-III/2 of the STCW Code as applicable to the ships operating in Near-Coastal Voyages.

27. **Minimum requirements for certification of Chief Engineer Officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in near coastal voyages (Marine Engineer Officer Class III - Chief Engineer Officer - Near-Coastal Voyages).-** (1) Every Chief

Engineer Officer on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages shall hold an appropriate certificate of competency in Form 14.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) hold a certificate of competency as Marine Engineer Officer Class III (Second Engineer Officer - Near-Coastal Voyages) on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of between 750 KW and 3000 KW propulsion power operating in Near-Coastal Voyages;

(ii) have not less than one year approved sea-going service as an officer in charge of an engineering watch on such ships;

(iii) have completed an approved engineering management course:

(iv) have completed approved machinery space simulator training; and

(v) have completed approved examination and assessment.

28. **Minimum requirements for certification of ratings forming part of an engine room watch.-** (1) Every rating forming part of an engine room watch or designated to perform duties in a periodically unmanned engine room on a sea-going ship powered by main propulsion machinery of 750 KW propulsion power or more, other than ratings under training and ratings whose duties while on watch are of an unskilled nature, shall be duly certificated by the Chief Examiner concerned to perform such duties.

(2) Every candidate for the certification shall –

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) have completed –

(a) approved sea-going service for a period of not less than nine months; or

(b) approved pre-sea training or special training for a period of ninety days and approved sea-going service for a period of not less than six months; and

(iii) meets the standard of competence as specified in section A-III/4 of the STCW Code.

(3) The sea-going service, training and experience requirements by clause (ii) of sub-rule (2) shall be associated with engine room watchkeeping functions and shall also involve the performance of duties carried out on board the ship under the direct supervision of the Chief Engineer or the officer in charge of an engineering watch or a certified rating duly documented in an approved rating training record book:

(4) Rating who has served in a relevant capacity in the Engine Department for a period of not less than one year within the last five years preceding the 1st day of August, 1998, shall be eligible for assessment by the assessment centre.

CHAPTER IV

Radiocommunication and Radio personnel

29. **Minimum requirements for certification of Global Maritime Distress and Safety System radio personnel.-** (1) Every person in charge of or performing radio duties on a ship required to participate in the Global Maritime Distress and Safety System in addition to the provisions of Merchant Shipping (Distress and Safety Radio Communication) Rules, 1995 shall –

(i) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) attend an approved Global Maritime Distress and Safety System General Operator's Course and meet the standard of competence as specified in section A-IV/2 of the STCW Code; and

(iii) on completion of the approved Global Maritime Distress and Safety System General Operator's Course and demonstration of competence to perform the tasks, duties and responsibilities as set out in Table A-IV/2 of the STCW Code, be issued with an appropriate certificate and necessary endorsement shall be made on the same as required by the STCW Convention.

CHAPTER V

Special training requirements for personnel on certain types of ships

30. **Minimum requirements for the traini g and qualifications of masters, officers and ratings on tankers.-** (1) Officers and ratings assigned specific duties and responsibilities relating to cargo or cargo equipment on tankers shall have completed an approved shore-based fire-fighting course and shall have completed -

(a) at least ninety days of approved sea-going service on tankers in order to acquire adequate knowledge of safe operational practices; or

(b) an approved tanker familiarisation course covering at least the syllabus given for that course in section A-V/1 of the STCW Code On satisfactory completion of the course an appropriate certificate shall be issued to the candidate.

(2) Masters, Chief Engineer Officers, Chief Mates, Second Engineer Officers and any person with immediate responsibility for loading, discharging and care in transit or handling of cargo shall, in addition to meet the requirements of sub-rule (1), have -

(a) at least ninety days experience appropriate to their duties on the type of tanker on which they serve; and

(b) completed an approved specialised training programme which at least covers the subjects set out in section A-V/1 of the STCW Code that are appropriate to their duties on the oil

tanker, chemical tanker or liquefied gas tanker on which they serve. On satisfactory completion of such training an appropriate certificate shall be issued to the candidate.

(3) Masters and officers, who are qualified in accordance with sub-rule (2) shall present their certificate of competency to the Chief Examiner concerned or Examiner, as the case may be, and obtain an endorsement for service on oil tanker, chemical tanker or liquefied gas tanker, as appropriate.

31. **Minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on ro-ro passenger ships.-** (1) Masters, officers and ratings and other personnel serving on board ro-ro passenger ships, prior to being assigned shipboard duties, shall have completed the relevant training in accordance with their capacity, duties and responsibilities.

(2) Masters, officers and other personnel designated on muster lists to assist passengers in emergency situations on board ro-ro passenger ships shall have completed training in crowd management as specified in section A-V/2, paragraph 1 of the STCW Code.

(3) Masters, officers and other personnel assigned specific duties and responsibilities on board ro-ro passenger ships shall have completed the familiarisation training as specified in section A-V/2, paragraph 2 of the STCW Code.

(4) Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board ro-ro passenger ships shall have completed the safety training as specified in section A-V/2, paragraph 3 of the STCW Code.

(5) Masters, Chief Mates, Chief Engineer Officers, Second Engineer Officers and every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers, loading, discharging or securing cargo or closing hull openings on board ro-ro passenger ships shall have completed approved training in passenger safety, cargo safety and hull integrity as specified in section A-V/2, paragraph 4 of the STCW Code.

(6) Masters, Chief Mates, Chief Engineer Officers, Second Engineer Officers and any person having responsibility for the safety of passengers in emergency situations on board ro-ro passenger ships shall have completed approved training in crisis management and human behaviour as specified in section A-V/2, paragraph 5 of the STCW Code.

(7) Masters, officers, ratings and other personnel serving on board ro-ro passenger ships shall, on satisfactory completion of approved relevant training in crowd management, familiarisation, safety, passenger safety, cargo safety and hull integrity, crisis management and human behaviour be issued with an appropriate certificate.

(8) Masters, Chief Mates, Chief Engineer Officers and Second Engineer

Officers who are qualified in accordance with this rule and hold an appropriate certificate, shall present their certificate of competency to the Chief Examiner or the Examiner concerned, as the case may be, and obtain an endorsement for service on ro-ro passenger ships.

(9) Seafarers who are required to be trained in accordance with sub-rules (2), (5) and (6) shall, at intervals not exceeding five years, undertake appropriate refresher training.

32. **Minimum requirements for the training and qualifications of masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships.-** (1) Masters, officers and ratings and other personnel serving on board passenger ships, other than ro-ro passenger ships, prior to being assigned shipboard duties, shall have completed the relevant training in accordance with their capacity, duties and responsibilities.

(2) Masters, officers and other personnel designated on muster lists to assist passengers in emergency situations on board passenger ships shall have completed training in crowd management as specified in section A-V/3, paragraph 1 of the STCW Code.

(3) Masters, officers and other personnel assigned specific duties and responsibilities on board passenger ships shall have completed the familiarisation training as specified in section A-V/3, paragraph 2 of the STCW Code.

(4) Personnel providing direct service to passengers in passenger spaces on board passenger ships shall have completed the safety training as specified in section A-V/3, paragraph 3 of the STCW Code.

(5) Masters, Chief Mates and every person assigned immediate responsibility for embarking and disembarking passengers shall have completed training in passenger safety as specified in section A-V/3, paragraph 4 of the STCW Code.

(6) Masters, Chief Mates, Chief Engineer Officers, Second Engineer Officers and any person having responsibility for the safety of passengers in emergency situations on board passenger ships shall have completed approved training in crisis management and human behaviour as specified in section A-V/3, paragraph 5 of the STCW Code.

(7) Masters, officers, seamen, ratings and other personnel serving on board passenger ships shall, on satisfactory completion of approved relevant training in crowd management, familiarisation, safety, passenger safety, crisis management and human behaviour, be issued with an appropriate certificate.

(8) Masters, Chief Mates, Chief Engineer Officers and Second Engineer Officers who are qualified in accordance with this rule and hold an appropriate certificate, shall present their certificate of competency to the Chief Examiner concerned or the Examiner concerned, as the

case may be, and obtain an endorsement for service on passenger ships.

(9) Seafarers who are required to be trained in accordance with sub-rules (2), (5) and (6) shall, at intervals not exceeding five years, undertake appropriate refresher training.

CHAPTER VI

Emergency, occupational safety, medical care and survival functions

33. **Minimum requirements for familiarisation, basic safety training and instructions for all seafarers.-** (1) All persons employed or engaged on a sea-going ship, other than passengers shall, before being assigned to shipboard duties, receive approved familarisation training and instructions in accordance with paragraph 1 of section A-VI/1 of the STCW Code and shall meet the appropriate standard of competence as specified therein.

(2) Seafarers employed or engaged in any capacity on board ship on the business of that ship as part of the ship's complement with designated safety or pollution prevention duties in the operation of the ship shall, before being assigned to any shipboard duties, receive appropriate approved basic training or instructions in –

(i) personal survival techniques as set out in Table A-VI/1-1 of the STCW Code;

(ii) fire prevention and fire fighting as set out in Table A-VI/1-2 of the STCW Code;

(iii) elementary first aid as set out in Table A-VI/1-3 of the STCW Code; and

(iv) personal safety and social responsibilities as set out in Table A-VI/1-4 of the STCW Code.

(3) On satisfactory completion of each of the approved basic safety training, an appropriate certificate shall be issued to the seafarer.

34. **Minimum requirements for the issue of certificates of proficiency in survival craft, rescue boats and fast rescue boats.-** (1) Every candidate for a certificate of proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats shall –

(a) be not less than 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(b) have approved sea-going service of not less than one year or have attended an approved training course and have approved sea-going service of not less than six months;

(c) attend an approved training course and meet the standard of competence for certificates of proficiency in survival craft and rescue boats set out in section A-VI/2, paragraphs 1 to 4 of the STCW Code; and

(d) on satisfactory completion of the approved training course and demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities set out in Table A-VI/2-1 of the STCW Code, be issued with an appropriate certificate.

(2) Every candidate for a certificate of proficiency in fast rescue boats shall –

(i) be the holder of a certificate of proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats;

(ii) have attended an approved training course;

(iii) meet the standard of competence for certificates of proficiency in fast rescue boats set out in section A-VI/2, paragraphs 5 to 8 of the STCW Code: and

(iv) on satisfactory completion of the approved training course and demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities set out in Table A-VI/2-2 of the STCW Code, be issued with an appropriate certificate.

35. **Minimum requirements for training in advanced fire fighting.-**

(1) Seafarers designated to control fire-fighting operations shall have successfully completed advanced training in techniques for fighting fire with particular emphasis on organisation, tactics and command in accordance with the provisions of section A-VI/3 of the STCW Code and shall meet the standard of competence specified therein

(2) On satisfactory completion of advanced training in techniques for fighting fire and demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities set out in Table A-VI/3 of the

STCW Code, an appropriate certificate shall be issued to the seafarer

36. **Minimum requirements relating to medical first aid and medical care.-** (1) Seafarers designated to provide medical first aid on board ship shall complete an approved training programme and meet the standard of competence in medical first aid specified in section A-VI/4, paragraphs 1 to 3 of the STCW Code. On satisfactory completion of the approved training and assessment programme in medical first aid and demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities set out in Table A-VI/4-1 of the STCW Code, an appropriate certificate shall be issued to the seafarer.

(2) Seafarers designated to take charge of medical care on board ship shall complete an approved training and assessment programme and meet the standard of competence in medical care as specified in section A-VI/4, paragraphs 4 to 6 of the STCW Code. On satisfactory completion of the approved training and assessment programme in medical care and demonstration of competence to undertake the tasks, duties and responsibilities set out in Table A-VI/4-2 of the STCW Code, an appropriate certificate shall be issued to the seafarer.

CHAPTER VII

Alternative Certification

37. **Power of the Chief Examiner concerned.-** (1) The Chief Examiner concerned may allow assessment of competence in one or more functions falling outside a candidate's certificate of competency provided the arrangement has been notified to the International Maritime Organisation in accordance with article IV and regulation I/7, relating to communication of information, of the STCW Convention.

38. **Minimum requirements for issue of alternative certificates.-** (1) The Chief Examiner concerned if satisfied that approved training and assessment programme in additional function fully meet the requirements of the STCW Code, as appropriate to the level of responsibility including qualifying sea-going service, may issue a certificate duly endorsed to the effect and stating clearly the qualifications obtained in one or more functions and limitations, if any, as per regulation VII/I and VII/2 of the STCW Convention and subject to principles governing the issue of alternative certificates as per regulation VII/3 of the STCW Convention.

39. **Principles governing the issue of alternative certificates.-** (1) The Chief Examiner concerned before issuance or authorising the issuance of alternative certificates shall ensure that no such certificates are issued unless it maintains equivalent level of safety

and pollution prevention and certificates of competency issued under these rules will continue to allow interchangeability without the reduction in competency, manning, de-skilling or watchkeeping provisions of the STCW Convention.

CHAPTER VIII

Watchkeeping

40. **Fitness for duty.-** (1) The company shall, for the purpose of preventing fatigue –

(a) establish and enforce rest periods for watchkeeping personnel;

(b) require that watch systems are so arranged that the efficiency of all watchkeeping personnel is not impaired by fatigue and the duties are so organised that the first watch at the commencement of a voyage and subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty; and

(c) comply with the requirements of rest periods set out in section A-VIII/I of the STCW Code and display watch schedules on board their ships where they are easily accessible.

41. **Watchkeeping arrangements and principles to be observed.-** (1) Masters, Chief Engineer Officers and all watchkeeping personnel on board their ships shall comply with the requirements, principles and guidance set out in section A-VIII/2 of the STCW Code. The requirements shall be observed to ensure that safe

continuous watches appropriate to the prevailing circumstances and conditions are maintained in all sea-going ships at all times.

(2) The Master of every ship shall ensure that watchkeeping arrangements are adequate for maintaining safe watches, taking into account the prevailing circumstances and conditions and that, under the Master's general direction –

(i) officers in charge of the navigational watch are responsible for navigating the ship safely during their periods of duty when they shall be physically present on the navigating bridge or in a directly associated location such as the chartroom or bridge control room at all times;

(ii) radio operators are responsible for maintaining a continuous radio watch on appropriate frequencies during their periods of duty;

(iii) officer in charge of an engineering watch under the direction of the Chief Engineer Officer, shall be immediately available and on call to attend the machinery spaces and, when required, shall be physically present in the machinery space during their periods of responsibility; and

(iv) an appropriate and effective watches are maintained for the purpose of safety at all times, while the ship is at anchor or moored and, if the ship is carrying hazardous cargo, the organisation of such watches takes fuli account of the nature, quantity, packing and stowage of the hazardous cargo and of any special conditions prevailing on board, afloat or ashore.

CHAPTER IX

Miscellaneous Provisions

42. **Minimum qualifications for a seaman.-** (1) No seaman forming part of a navigational or engine-room watch shall be engaged or carried to sea in any capacity in any ship unless he –

(i) is of 18 years of age on the last date prescribed for receipt of application;

(ii) has passed Matric or an equivalent examination from a Board of Education established under law;

(iii) has completed the approved pre sea-going training;

(iv) meets the standards of medical and physical fitness as specified in the Merchant Shipping (Medical Examination) Rules, 1986 and the STCW Code; and

(v) holds a certificate showing the date of birth and a valid passport.

43. **Responsibility of an employer.-** (1) No person shall engage or carry to sea any seaman to work in any capacity of navigational or engine-room watch unless he is certified by the Chief Examiner concerned to the effect that he is fit in all respects to be employed in

a relevant capacity and meets the requirements of the Act, these rules and the STCW Code. Before certifying as such the Chief Examiner concerned shall satisfy that the certificates produced by the seaman are genuine and valid.

44. **Action against candidates found guilty of misconduct.-** (1) Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application in Form 15. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested or certified copy submitted by them nor should they submit a tampered or fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested or certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.

(2) A candidate who is or has been declared by the Director General of Shipping to be guilty of –

(i) obtaining support of his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the script; or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Director General of Shipping for the conduct of their examination; or

(xi) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable –

(a) to be disqualified by the Director General of Shipping from examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period:-

(i) by the Director General of Shipping from any examination or assessment held by him;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in any service to disciplinary action under the relevant rules.

45. **Appeal.-** (1) Any seafarer aggrieved by any order made under these rules by any officer below the rank of the Director General of Shipping may prefer an appeal to the Director General of Shipping within a period of sixty days from the date of receipt of the order.

(2) Any seafarer aggrieved by any order made under these rules by the Director General of Shipping may prefer an appeal to the Central Government within a period of sixty days from the date of receipt of the order.

(3) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfies the

appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

(4) Every appeal made under this rule shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(5) The appellant authority, before disposing of an appeal, shall give a reasonable opportunity of being heard to the appellant.

(6) An appeal shall be disposed of as expeditiously as possible but within a period of six months from the date of the order.

(7) The appellate authority may confirm, modify or reverse the order appealed against.

46. **Power to exempt.-** Where the Director General of Shipping is satisfied that the application of full requirements of the provisions of the STCW Convention are unreasonable or impracticable, he may, to such exceptions and conditions as he may consider necessary, by order in writing, exempt a seafarer from such requirements.

47. **Supervision by the Director General of Shipping.-** The Director General of Shipping shall supervise that all training and assessment of seafarers for certification is –

(a) structured in accordance with written programmes including such methods and media of delivery, procedure and course

material as are necessary to achieve the standard of competence as specified in Chapters II to VIII of the STCW Code;

(b) conducted, monitored, evaluated and supported by persons qualified in accordance with paragraphs 4 to 6 of section A-I/6 of the STCW Code.

48. **Replacement of lost or damaged certificates.-** (1) Any person whose certificate has been damaged or lost, may apply for a duplicate of the same to the Principal Officer, Mercantile Marine Department who delivered the certificate.

(2) Every such application shall be in Form 16 and shall be accompanied by an appropriate fee as specified in Schedule:

Provided that in case of loss of a certificate due to fire on board the ship or total loss of the ship such fee shall not be charged.

(3) On receipt of an application under sub-rule (1) the Principal Officer shall refer the same to the Chief Examiner concerned, who shall, after making such inquiry as he may deem fit, issue a duplicate certificate to the applicant through the Principal Officer as soon as may be practicable but in any case not later than the expiry of a period of six months.

49. **Review of results of examination.-** A candidate who has been declared failed in any examination may apply to the Principal Officer, Mercantile Marine Department for review of results within a

period of thirty days from the date of declaration of the results. Such application shall be accompanied by a fee as specified in the Schedule The Principal Officer shall forward the application to the Chief Examiner concerned who shall assign an Examiner other than who dealt with the examination originally to review the evaluation. Results of review when approved shall be final and no appeal shall be against such review. In case the original result is reversed the fee shall be refunded to the candidate.

50. **Fees.-** (1) Every candidate shall pay fees in accordance with the scale of fees specified in the Schedule on each occasion he applies for examination or enquiries, as the case may be, as to his eligibility for examination or exemption or both.

(2) Fees paid under these rules shall not be refunded.

51. **Repeal.-** (1) The Merchant Shipping (Examination of Masters and Mates) Rules, 1985 and the Merchant Shipping (Examination of Engineer Officers in the Merchant Navy) Rules, 1989 are hereby replealed.

(2) All appointments made, acts done or omitted to be done under the repealed rules shall be deemed to have been made or done or omitted to be done under the corresponding provisions of these rules.

(3) All certificates issued under the repealed rules shall be revalidated under the provisions of rule 10.

SCHEDULE

FEES

	Written examination (in rupees)	Oral examination (in rupees)	Other
1. Second Mate of a foreign-going ship:			
(a) Navigation	500/-	500/-	—
(b) Cargo handling and Stowage	500/-	500/-	—
(c) Controlling operation of the ship and care for persons on board.	500/-	500/-	—
(d) Radio Communications	500/-	500/-	—
2. First Mate of a foreign-going ship:			
(a) Navigation	1500/-	1500/-	—
(b) Cargo handling and stowage	1500/-	1500/-	—
(c) Controlling operation of the ship and care for persons on board	1500/-	1500/-	—
(d) Radio Communications.	-	-	—
3. Master of a foreign-going ship	6000/-	6000/-	—
4. Extra Master	6000/-	6000/-	—
5. Navigational Watch-keeping officer:			
(a) Navigation	250/-	250/-	—
(b) Cargo handling and stowage	250/-	250/-	—

(c) Controlling operation of the ship and care for persons on board	250/-	250/-	—
(d) Radio Communications	250/-	250/-	—
6. Mate of a home-trade ship:			
(a) Navigation	1000/-	1000/-	—
(b) Cargo handling and stowage	1000/-	1000/-	—
(c) Controlling operation of the ship and care for persons on board	1000/-	1000/-	—
(d) Radio Communications	-	-	—
7. Master of a home-trade ship	3000/-	3000/-	—
8. Marine Engineer Officer Class IV:			
(a) Marine Engineering	500/-	500/-	—
(b) Electrical, electronic and control engineering	500/-	500/-	—
(c) Maintenance and repair	500/-	500/-	—
(d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board	500/-	500/-	
9. Marine Engineer Officer class II:			
(a) Marine engineering	1500/-	1500/-	—
(b) Electrical, electronic and control engineering	1500/-	1500/-	
(c) Maintenance and repair	1500/-	1500/-	
(d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board	1500/-	1500/-	—

10. Marine Engineer Officer Class I	6000/-	6000/-	—
11. Extra First Class Engineer	6000/-	6000/-	—
12. Marine Engineer Officer Class IV (Near-Coastal Voyages):			
(a) Marine engeering	250/-	250/-	—
(b) Electrical, electronic and control engineering	250/-	250/-	—
(c) Maintenance and repair	250/-	250/-	—
(d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board	250/-	250/-	
13. Marine Engineer Officer Class III (Second Engineer, Near-Coastal Voyages):			
(a) Marine engineering	1000/-	1000/-	—
(b) Electrical, electronic and control engeering	1000/-	1000/-	
(c) Maintenance and repair	1000/-	1000/-	
(d) Controlling the operation of the ship and care for persons on board	1000/-	1000/-	
14. Marine Engineer Officer Class III (Chief Engineer, Near-Coastal Voyages)	3000/-	3000/-	—
15. Ratings forming part of a navigational watch	-	500/-	—
16. Ratings forming part of an engine room watch	-	500/-	-
17. For issue of duplicate Certificate of Competency	-	-	1000/-
18. Review of results of examination for -			

(a) Certificate at support level of a foreign-going ship or on ships engaged in Near-Coastal Voyages.	-	-	500/-
(b) Certificate at operation level of a foreign-going ship	-	-	2000/-
(c) Certificate at management level of a foreign-going ship	-	-	10000/-
(d) Certificate at operation level of a ship engaged in Near-Coastal Voyages	-	-	1000/-
(e) Certificate at management level of a ship engaged in Near-Coastal Voyages	-	-	2000/-
19. Writing of Hard Cover Certificates:			
(a) Certificates at support level of a foreign-going ship	-	-	250/-
(b) Certificate at opertion and management level of a foreign-going ship	-	-	1000/-
(c) Certificate at operation and management level of a ship engaged in Near-Coastal Voyages	-	-	500/-
20. Enquires with respect to assessment of eligibility or exemption or both for any part of examination at each occasion	-	-	1000/-
21. Endorsement for service on oil, chemical, liquefied gas tanker, ro-ro passenger ship or passenger ship	-	-	1000/-
22. Revalidation of Certificate of Competency	-	-	2500/-

FORM T

(See rule 13)

Government of India

Certificate of Competency

as

Second Mate of a Foreign - Going Ship

(Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more)

(Regulation II/1 of STCW Convention)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

_____

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Second Mate of a foreign-going ship (Officer in charge of a navigational watch) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

( )
Deputy Nautical Adviser
to the Government of India

(Official Seal)

( )
Chief Examiner
Nautical Adviser
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 2

(See rule 14)

Government of India

Certificate of Competency

as

First Mate of a Foreign - Going Ship

(Chief Mate on ships of 500 gross tonnage or more)

(Regulation II/2 of STCW Convention)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of First Mate of a foreign-going ship (Chief Mate) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in ccordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )
Deputy Nautical Adviser
to the Government of India

( )
Chief Examiner
Nautical Adviser
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 3

(See rule 15)

Government of India

Certificate of Competency

as

Master of a Foreign - Going Ship

(Master on ships of 500 gross tonnage or more)

(Regulation II/2 of STCW Convention)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

---

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Master of a foreign-going ship (Master) in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in ccordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )
Deputy Nautical Adviser
to the Government of India

( )
Chief Examiner
Nautical Adviser
to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

FORM 4

(See rule 16)

Government of India

Certificate of Competency

as

Extra Master

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58)

To,

Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Master of a foreign-going ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

This Certificate is given upon an Examination passed at ..... on the ..... day of .....

Certificate No. ..... Issued on .....

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )

Deputy Nautical Adviser
to the Government of India

( )

Chief Examiner
Nautical Adviser
to the Government of India

FORM 5

(See rule 17)

Government of India

Certificate of Competency

as

Navigational Watchkeeping Officer (NCV)

(Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more, operating in near coastal voyages)

(Regulation II/1 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

(VALID FOR AREAS ENCOMPASSED BETWEEN THE PORTS OF BANGLADESH, INDIA, MALDIVES, MYANMAR AND SRI LANKA ONLY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

_____

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Navigational Watchkeeping Officer Officer in charge of a navigational watch (NCV)) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel plying from and to ports of Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka and any other limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. .... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

(Official Seal)

( )
Deputy Nautical Adviser to the Government of India

( )
Chief Examiner
Nautical Adviser to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 6

(See rule 18)

Government of India

Certificate of Competency

as

Mate of a Home-Trade Ship

(Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage, operating in near coastal voyages)

(Regulation II/2 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

(VALID FOR AREAS ENCOMPASSED BETWEEN THE PORTS OF BANGLADESH, INDIA, MALDIVES, MYANMAR AND SRI LANKA ONLY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Mate of a Home-Trade ship (Chief Mate (NCV)) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel plying from and to ports of Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka and any other limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )
Deputy Nautical Adviser to the Government of India

( )
Chief Examiner
Nautical Adviser to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 7

(See rule 19)

Government of India

Certificate of Competency

as

Master of a Home-Trade Ship

(Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage, operating in near coastal voyages)

(Regulation II/2 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

(VALID FOR AREAS ENCOMPASSED BETWEEN THE PORTS OF BANGLADESH, INDIA, MALDIVES, MYANMAR AND SRI LANKA ONLY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

---

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Master of a Home-Trade ship (Master (NCV)) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation II/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel plying from and to ports of Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka and any other limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )
Deputy Nautical Adviser to the Government of India

( )
Chief Examiner
Nautical Adviser to the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until . .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .. ..

Date of Revalidation .....

FORM 8

(See rule 21)

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class IV

(Officer in charge of an engineering watch on ships)

(Regulation III/1 of STCW Convention)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class IV (Officer in charge of an engineering watch) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

(Official Seal)

( )

Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 9

(See rule 22)

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class II

(Second Engineer Officer on ships)

(Regulation III/2 of STCW Convention)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

---

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class II (Second Engineer Officer) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in ccordance with the provisions of regulation III/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

( )
Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

(Official Seal)

( )
Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 10

(See rule 23)

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class I

(Chief Engineer Officer on ships)

(Regulation III/2 of STCW Convention)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class I (Chief Engineer Officer) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/2 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to any limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

(Official Seal)

( )

Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 11

(See rule 24)

Government of India

Certificate of Competency

as

Extra First Class Engineer

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58)

To,

Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class I of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

This Certificate is given upon an Examination passed at ..... on the ..... day of .....

Certificate No. ..... Issued on .....

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

( )

Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

FORM 12

(See rule 25)

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class IV (NCV)

(Officer In charge of an engineering watch on ships, operating in near coastal voyages)

(Regulation III/1 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

(VALID FOR AREAS ENCOMPASSED BETWEEN THE PORTS OF BANGLADESH, INDIA, MALDIVES, MYANMAR AND SRI LANKA ONLY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class IV (Officer in charge of an engineering watch (NCV)) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate f Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/1 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel plying from and to ports of Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka and any other limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

(Official Seal)

( )

Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

FORM 13

(See rule 26)

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class III

(Second Engineer Officer of ships, operating in near coastal voyages)

(Regulation III/3 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

(VALID FOR AREAS ENCOMPASSED BETWEEN THE PORTS OF BANGLADESH, INDIA, MALDIVES, MYANMAR AND SRI LANKA ONLY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class III (Second Engineer Officer (NCV)) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel plying from and to ports of Bangladesh, India, Maldives, Myanmar and Sri Lanka and any other limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )

Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

( )

Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

The validity of this certificate is hereby extended until ....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

....
Signature of the duly authorized official

....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate ....

Date of Revalidation ....

FORM 14

(See rule 27)

Government of India

Certificate of Competency

as

Marine Engineer Officer Class III

(Chief Engineer Officer of ships, operating in near coastal voyages)

(Regulation III/3 read along with Regulation I/3 of STCW Convention)

(VALID FOR AREAS ENCOMPASSED BETWEEN THE PORTS OF BANGLADESH, INDIA, MALDIVES, MYANMAR AND SRI LANKA ONLY)

CERTIFICATE ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE MERCHANT SHIPPING ACT 1958(44 OF 58) AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED IN 1995

To,

1. Whereas you have been found duly qualified to fulfil the duties of Marine Engineer Officer Class III (Chief Engineer Officer (NCV)) of a ship in the Merchant Navy, the Central Government in exercise of its powers under the Merchant Shipping Act 1958 (44 of 58) hereby grants you this Certificate of Competency.

2. The Government of India certifies that the above named person has been found duly qualified in accordance with the provisions of regulation III/3 of the STCW Convention, as amended and has been found competent to perform the following functions, at the levels specified, subject to the vessel plying from and to ports of Bangladesh, India, Maldives. Myanmar and Sri Lanka and any other limitations indicated until _____ or until the date of expiry of any extension of the validity of this certificate.

FUNCTION	LEVEL	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

The lawful holder of this certificate may serve in the following capacity or capacities specified in the applicable safe manning requirements of the Administration:

CAPACITY	LIMITATIONS APPLYING (IF ANY)

Certificate No. ..... Issued on .....

The Original of this certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 9 of the Convention while serving on a ship.

Date and place of birth of the holder of the certificate .....

Signature of the holder of the certificate .....

Photograph of the holder of the certificate

(Official Seal)

Countersigned

( )
Deputy Chief Surveyor
with the Government of India

( )
Chief Examiner
Chief Surveyor
with the Government of India

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

The validity of this certificate is hereby extended until .....

Recent photograph of the Candidate

(Official seal)

.....
Signature of the duly authorized official

.....
Name of the duly authorized official

Signature of Candidate .....

Date of Revalidation .....

FORM 15
(See rule 44)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Application for examination and assessment for certificates under Merchant Shipping (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) Rules, 1998 for manning ships in foreign-going and near-coastal voyages trades

A. PERSONAL PARTICULARS :

1. Full Name .....

   (Block letters) (Surname) (Other names)

PHOTO

2. Permanent address .....

   .....

   .....

3. Present address .....

   .....

4. Telephone Number (if any) : .....

5. Nationality (proof to be produced) .....

6. Passport number .....

7. Date and place of issue .....

8. Continuous Discharge Certificate (C.D.C.) Number .....

9. Date and place of issue .....

10. Date of birth ..... 11. Place of birth .....

    (Proof to be produced)

11. Personal marks .....

Note : Any person who makes, causes to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself/herself or any other person a Certificate, shall be liable for prosecution under Section 182 & 420 of the Indian Penal Code 1860.

B. DETAILS OF SCHOLASTIC EDUCATION :
(Separate sheets must be attached)

1. Scholastic Education Level : .....
2. Principal subjects : .....
3. Year of passing : .....
4. School / College / Board : .....
5. Address of the Institution : .....

.....

C. DETAILS OF PRE-SEA TRAINING/MARINE ENGINEERING WORKSHOP:
(Separate sheets must be attached)

1. Training Institute : .....
2. Address of the Institute : .....

.....

3. Attended from ..... to .....
4. Result : .....
5. Courses attended :

D1. DETAILS OF SEA-GOING SERVICE (FOR DECK DEPARTMENT PERSONNEL) :

Name of ship	Type	Gross Tonnage	Port of Registry/ Official Number	Trade Near Coastal Voyages/ Foreign - Going	Rank	From	To	Period		Remarks
								Months	Days	

D2. DETAILS OF SEA-GOING SERVICE (FOR ENGINE DEPT. PERSONNEL) :

				Trade		Nature of Service	Date		Period	
No. of Testimonials	Name of ship and whether Steam Ship or Motor Vessel	Official Number	Kilowatt Registered Power	Foreign-going or Near Coastal Voyages or Indian Naval Service or Coast Guard	Rank	State Whether performed I. On fitter's work, either by day or on watches on Deck or in Engine and Boiler Rooms. II. On regular watch on auxiliaries or refrigerator. III. On regular watch on main engines. IV. -do- on main boilers V. -do- on both main engines and boilers simultaneously. VI On ships, partially or fully unmanned machinery space	From	To	Months	Days
						* The use of appropriate Roman numbers will be sufficient for III, IV, V and VI.	Net qualifying service			

E. REPORT ON STRUCTURED ON-BOARD TRAINING :

	DATE OF COMPLETION	NAME OF MASTER	DETAILS OF CERTIFICATE OF COMPETENCY
PHASE 1 :			
PHASE 2 :			
PHASE 3 :			
PHASE 4 :			

REPORT OF DESIGNATED COMPANY TRAINING OFFICER :

SIGNATURE :

NAME : **CERTIFICATE NO.:**

REPORT OF HEAD OF ASSESSMENT CENTRE :

SIGNATURE :

NAME : **OFFICIAL STAMP :**

F. REPORT OF ASSESSMENT CENTRE :

1. POST-SEA APPROVED EDUCATION AND TRAINING AT APPROVED INSTITUTION

LEVEL : .....

FUNCTION/PART	INSTITUTION	FROM	TO	REMARKS

2. REMARKS OF HEAD OF ASSESSMENT CENTRE

ELIGIBILITY FOR OPERATIONAL LEVEL EXAMINATION/ASSESSMENT

SIGNATURE :

NAME : **OFFICIAL STAMP :**

G. PARTICULARS OF STCW CONVENTION MODULAR COURSES (POST-SEA) :

Sr.No.	COURSE	STCW Regulation/ STCW Code A	APPROVED INSTITUTION	PERIOD		Validity
				From	To	

H. PREVIOUS CERTIFICATE (issued in India or elsewhere, if none state so) :

Number	Certificate details	Class/ Grade	Place and date of examination		If at any time suspended or cancelled. state		
			Examination	Issue	Court of Authority	Date	Cause

I. DECLARATION TO BE MADE BY CANDIDATE :

I hereby declare that the particulars contained in the form are correct and true to the best of my knowledge and belief and that the papers enumerated and sent with this form are true and genuine documents given and signed by the person whose name appears on them. I further declare that Section D contains a true and correct account of my sea-going service without exception and I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

The above declaration was signed in my presence

Signature of the candidate

Examiner of Masters and Mates/Engineer Officers
Mercantile Marine Department

.....District

J. Request for allotment of seat for examination :

Month	Fees paid			Function	Level	Signature of candidate and date	Signature of examiner/ assessor
	Amount	Date	Received by				

K. Result of examination (for official purpose only) :

Month	Examination Centre	Function		Medical Test *	Result	Examiner/ Assessor
		Written Assessments	Orals			

*** Separate sheet may be attached for details.**

L. REPORT OF EXAMINATION CENTRE :

(1) I hereby certify that ..... has satisfactorily produced testimonials and proof of Sea-going Service/Watch-keeping Service/Approved Workshop Training as required for the grade.

(2) The candidate complies with the requirements of the Merchant Shipping (Standards of Training. Certification and Watchkeeping for Seafarers) Rules, 1998 for the grade of .....

(3) The candidate has passed his examinations for the functions as under :

FUNCTION	EXAMINATION CENTRE	MONTH	REMARK

M. FOR THE CHIEF EXAMINER OF MASTERS AND MATES/ENGINEER OFFICERS :

(1) I hereby certify that .....
born at ..... on ..... has satisfactorily produced testimonials and proof of Sea-going Service/Watchkeeping Service.

(2) The candidate complies with the requirements of the Merchant Shipping (Standards of Training. Certification and Watchkeeping for Seafarers) Rules, 1998 for the grade of .....

(3) The candidate has passed the examinations of the functions as under :

FUNCTION	EXAMINATION CENTRE	MONTH	REMARK

The candidate meets the requirements to be eligible to be issued the Certificate of Competency as .....

The Certificate of Competency may be forwarded to the Mercantile Marine Department for issuance.

Examiner of Masters and Mates/Engineer Officers
Mercantile Marine Department

N. FINAL ASSESSMENT PRIOR CERTIFICATION :

	STATUS
MEDICAL FITNESS PRE SEA TRAINING STRUCTURED ON BOARD TRAINING SEA SERVICE REQUIREMENT WRITTEN EXAMINATION (ASSESSMENT) ORAL ASSESSMENT MODULAR COURSES	
ELIGIBILITY	YES/NO

CERTIFICATE OF COMPETENCY FOR GRADE ..... AS RECOMMENDED BY MERCANTILE MARINE DEPARTMENT MAY BE ISSUED

ASSESSOR AT DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING OF MASTERS AND MATES/ENGINEER OFFICERS

REMARKS .....

CHIEF EXAMINER
(MASTERS AND MATES/ENGINEER OFFICERS)

FORM 16
(See rule 48)

APPLICATION FOR ISSUE OF CERTIFIED TRUE COPY OF CERTIFICATE OF COMPETENCY

(A) Full Name : .....
Date and Place of Birth : .....

(B) Details of Certificate of Competency of which a certified copy is required :
Grade : ..... No. : .....
Date Passed : ..... Issued at : .....

(C) Details of service within the last twelve months :

Name of ship	Port of Registry Official No.	Capacity	From	To	Remarks

(D) (i) I hereby declare that the particulars given in section A, B and C of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief and that the Certificate of Competency described in Section B was defaced/destroyed/lost under the following circumstances :

(ii) The certified true copy of the Certificate of Competency be delivered to me at the Port of .....

Signature of the candidate

E) For Office use only :

(i) The above statement was signed in my presence and it is recommended that the certified true copy of the Certificate of Competency described above may be issued.

Principal Officer
Mercantile Marine Department
..... District

(ii) Certified copy enclosed
Appropriate fees *may/
may not be charged.

(iii) Certified copy is issued.
* Fees of ..... received.

Principal Officer.

Notes : *Delete the words which do not apply.
On issue of the certified true copy this form shall be returned to the concerned Chief Examiner.

[File No. SR-11012/12/97-MA]

K. R. BHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998